तहारत के मसाइल

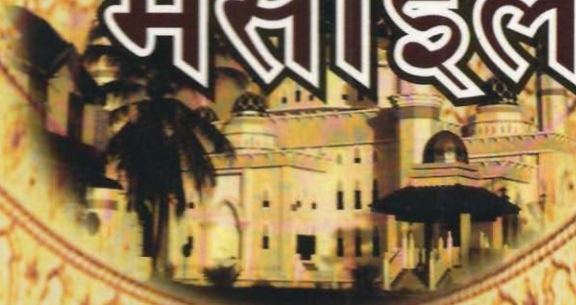

लेखक
मुहम्मद इक़बाल कीलानी

अल किताब इंटरनेशनल
मुरादी रोड बटला हाउस जामिया नगर
नई दिल्ली-२५

Www.IslamicBooks.Website

तहारत के मसाइल

लेखक

मुहम्मद इक़बाल कीलानी

अल किताब इंटरनेशनल

मुरादी रोड, बटला हाउस, जामिया नगर,

नई दिल्ली-25

Www.IslamicBooks.Website

© सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन

पुस्तक का नाम : तहारत के मसाइल

लेखक : मुहम्मद इक़बाल कीलानी

प्रकाशन वर्ष : 2009

मूल्य : 40/- (चालीस रुपये)

प्रकाशक : **अल-किताब इन्टर नेशनल**
जामिया नगर, नई दिल्ली-110025

कम्पोज़िंग : NANO COMPUTECH, Delhi-110032

मिलने का पता : **S. N. PUBLISHERS**
P. O. BOX NO. 9728
JAMIA NAGAR, NEW DELHI-110025
Phone : 9312508762, 9310008762,
9310108762, 26986973
E-mail : al-kitabint@yahoo.com

Www.IslamicBooks.Website

विषय सूची

- बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 4
- नीयत के मसाइल 17
- तहारत (पाकी) की श्रेष्ठता 20
- तहारत (पाकी) का महत्व 22
- पानी के मसाइल 24
- पेशाब पाख़ाना करने के मसाइल 27
- नापाकी दूर करने के मसाइल 35
- जनाबत के मसाइल 41
- हैज़ (मासिक धर्म) और निफ़ास के मसाइल 47
- इस्तिहाज़ा के मसाइल 59
- ग़ुस्ल के मसाइल 63
- वुज़ू के मसाइल 71
- तयम्मुम के मसाइल 83
- विभिन्न मसाइल 86
- ज़ईफ़ और मौज़ूअ हदीसें 90

Www.IslamicBooks.Website

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ أَمَّا بَعْدُ!

किताब तहारत के मसाइल दो पहलुओं से बहुत अहम है :

1. इस्लाम की पाकी की धारणा दूसरे धर्मों की तुलना में।
2. कुछ मसाइल तहारत (पाकी) और फ़ितना इंकार हदीस

हम इन दोनों पहलुओं पर क्रमवार विस्तार से बात करेंगे।

दीने इस्लाम का सबसे पहला सबक़ तहारत (पाकी) ही है। मुहद्दिसीन उज़्ज़ाम और समस्त इमामों रह० ने हमेशा हदीस और फ़िक़्ह की किताबों का आरंभ तहारत (पाकी) के मसाइल से ही किया है। जब कोई ग़ैर मुस्लिम इस्लाम में दाख़िल होता है तो सबसे पहले उसे ग़ुस्ल करके तहारत (पाकी) हासिल करना पड़ती है और उसके बाद कलिमा शहादत का इक़रार करके मुसलमान कहलाता है।

इस्लाम के सबसे अहम और बुनियादी स्तंभ, नमाज़ के लिए रसूले अकरम सल्ल० ने शरीर की पाकी, लिबास की पाकी और जगह की पाकी बुनियादी शर्तें बताईं हैं, लेकिन उसके बावजूद हर नमाज़ से पहले वुज़ू करने का हुक्म, पहले से वुज़ू हो, तो दोबारा वुज़ू करने की ताकीद, हर वुज़ू के साथ मिस्वाक करने की ताकीद, हवा निकले तो वुज़ू करने का हुक्म, टेक लगाकर नींद आ जाए तो वुज़ू करने का हुक्म, ये सारे आदेश न केवल यह कि हर मुसलमान को बौद्धिक रूप से तहारत (पाकी) के बारे में संवेदनशील बनाकर पाक साफ़ और स्वच्छ रहने की आदत डालते हैं बल्कि हर मुसलमान के मन में पाकी की एक ऐसी धारणा क़ायम करते हैं कि पाकी और पवित्रता की हालत में हर मुसलमान अपने शरीर और आत्मा की हालत को सामान्य हालत से प्रमुख और अलग समझने लगता है। अगर कहीं पानी न हो तो मिट्टी से तयम्मुम का हुक्म देकर मनोवैज्ञानिक रूप से पाकी और स्वच्छता के इसी आभास को बरक़रार रखा गया है जो अल्लाह तआला के समक्ष

Www.IslamicBooks.Website

हाज़िरी देने के लिए ज़रूरी है। अल्लाह तआला ने क़ुरआन मजीद में हर नमाज़ से पहले वुज़ू करके विभिन्न अंगों को अच्छी तरह धोने और साफ़ करने का उद्देश्य यह बयान फ़रमाया कि "उससे अल्लाह तआला तुम्हें पाक और साफ़ रखना चाहता है जिसके लिए तुम्हें अल्लाह का शुक्र गुज़ार होना चाहिए।"

﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (٥:٦)

अल्लाह तआला (ग़ुस्ल, वुज़ू और तयम्मुम के आदेश देकर) तुम पर ज़िंदगी तंग नहीं करना चाहता बल्कि वह चाहता है कि तुम्हें पाक व साफ़ कर दे और अपनी नेमत तुम पर पूर्ण कर दे ताकि तुम शुक्र करने वाले बनो।
(सूरह माइदा : 6)

हदीस शरीफ़ में आता है कि मदीना मुनव्वरा की क़रीबी बसती क़ुबा के लोग नमाज़ के लिए पाकी की बहुत अधिक व्यवस्था करते थे। जिस पर अल्लाह तआला ने क़ुरआन मजीद में उनकी यूं प्रशंसा फ़रमाई है :

﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ (٩:١٠٨)

"(मस्जिदे क़ुबा) में ऐसे लोग (नमाज़ पढ़ते) हैं जो पाकी को बहुत पसन्द करते हैं और अल्लाह तआला पाकी हासिल करने वालों को पसन्द करता है।"
(सूरह तौबा : 108)

रसूलुल्लाह सल्ल० पर जब दूसरी बार वह्य नाज़िल हुई, तो आपको नुबुवत की भारी ज़िम्मेदारियां पूरी करने के लिए जो निर्देश दिए गए उनमें से एक यह था :

﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ (٧٤:٤-٥)

"ऐ नबी सल्ल० अपने कपड़े साफ़ रखिए और गन्दगी से दूर रहिए।"
(74 : 4-5)

अर्थात दीने इस्लाम की तमाम तर उपासनाएं पाकी पर निर्भर हैं। आत्मा की सफ़ाई और लिबास व शरीर की पाकी अनिवार्य है। अतएव रसूले अकरम सल्ल० ने न केवल स्वयं उम्मत के सामने पाकी और पवित्रता का

Www.IslamicBooks.Website

उच्च नमूना क़ायम करके दिखाया बल्कि उम्मत को भी पाक व साफ़ रहने के लिए अत्यन्त ऊँचा पैमाना दिया। एक सहाबी बिखरे हुए बालों के साथ हाज़िरे ख़िदमत हुए, तो मिज़ाज मुबारक ने नागवारी महसूस की। उन्हें बाल संवारने का हुक्म दिया। जब दोबारा हाज़िर हुए, तो इरशाद फ़रमाया : "बिखरे व गंदे बाल शैतानी काम है।" एक और सहाबी मैले कुचैले और फटे हुए कपड़े पहने सेवा में हाज़िर हुए तो पूछा : "क्या तुम्हारे पास माल नहीं है?" अर्ज़ किया : बहुत कुछ है, ऊंट, घोड़े, बकरियां, ग़ुलाम सभी कुछ हैं। रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "तो फिर तुम्हारे रहन सहन से अल्लाह तआला के इनामों का पता होना चाहिए। स्वयं रसूले अकरम सल्ल० पाकी, सफ़ाई और स्वच्छता की इतनी व्यवस्था फ़रमाते कि सफ़र में भी बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें, तेल, कंघी, सुर्मा, क़ैंची, मिस्वाक और आईना आदि साथ रखते। मुंह और दांतों की सफ़ाई के लिए पीलू की मिस्वाक का इस्तेमाल बड़ी अधिकता से फ़रमाते। हर नमाज़ के साथ मिस्वाक करना, दैनिक चर्या में शामिल था। हज़रत आइशा रज़ि० फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० जब सोकर उठते तो पहला काम मिस्वाक करना होता, जब भी बाहर से घर तशरीफ़ लाते तो पहले मिस्वाक फ़रमाते, यहां तक कि पवित्र जीवन का आख़िरी काम भी मिस्वाक करना था।[1]

यह एक संक्षिप्त सा अवलोकन है उस शिक्षा का जो दीने इस्लाम ने तहारत (पाकी) के बारे में मुसलमानों को दी है। अब पाकी के पहलू से एक

1. पीलू की मिस्वाक पर सऊदी अरब के एक डॉक्टर अब्दुल्लाह मसऊद सईद ने शोध किया है जिसके अनुसार पीलू की ताज़ा मिस्वाक में उन्नीस प्रकार के विभिन्न रसायन अंश मौजूद होते हैं जिनमें से कुछ ऐसे प्राकृतिक ऐन्टी सैप्टिक हैं जिनका प्रभाव पेन्सिलीन से मिलता जुलता है मिस्वाक करते समय ये अंश मुंह के अंदर एक ऐसा प्राकृति के कीट नाशक पदार्थ तैयार करते हैं जिनमें मौजूद संगीन, सोडियम कार्बोनेट और टेंग ऐसिड दांतों में पैदा होने वाले हानिकारक कीटाणुओं (बेक्टीरिया) को नष्ट करके मसूड़ों से ख़ून या पीप आदि का बहना बन्द करते हैं और मसूड़ों के रेशों को सुकेड़ कर मज़बूत बनाते हैं। अर्थात पीलू की मिस्वाक प्राकृतिक टूथब्रूश और प्राकृतिक टूथपेस्ट दोनों का एक साथ काम देकर दांतों और मसूड़ों की सेहत और ताक़त का कारण बनती है। (उर्दू डाइजेस्ट, जून 1987 ई०)

Www.IslamicBooks.Website

नज़र पश्चिमी क़ौमों (यहूदी व ईसाइयों) के अतीत वर्त्तमान पर डालिए। जिनकी सभ्यता की ख्याति आज आसमान की बुलन्दियों को छू रही है। जिनके समाज की प्रत्यक्ष चमक दमक देखकर हमारे यहां की अधिकांश महिलाएं व मर्द उनकी ओर बड़ी ललचाई हुई नज़रों से देखते हैं।

डॉक्टर ड्रेपर (1882 ई०) की एक किताब का उर्दू अनुवाद मौलाना ज़फ़र अली ख़ान मरहूम ने "मार्का मज़हब व साइंस" के नाम से किया है उसके कुछ अंश देखिए।

1. मध्य काल में यूरोप का अधिकांश हिस्सा वीरान, बयाबान या घना जंगल था, जगह जगह दलदलें और गन्दे जोहड़ थे। सफ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। न गन्दे पानी को निकालने के लिए नालियों और नालों का रिवाज था। जन सामान्य एक ही लिबास सालों पहनते, जिसे धोते नहीं थे। परिणाम स्वरूप वह बोसीदा, मैला और बदबूदार हो जाता, नहाना इतना बड़ा गुनाह था कि जब पापाए रोम ने सिसली और जर्मनी के बादशाह फ्रेडरेक द्वितीय (1250 ई०) पर कुफ्र का फ़तवा लगाया, तो सबसे पहला यह आरोप था कि वह हर दिन मुसलमानों की तरह ग़ुस्ल करता है।[1]

2. पापाए रोम के यहां हर वह ईसाई काफ़िर था, जो मुसलमानों की सभ्यता या किसी और बात को अच्छा समझता हो या हर दिन नहाता हो ऐसे काफ़िरों को सज़ा देने के लिए पापा ने 1478 ई० में एक धार्मिक अदालत स्थापित की जिसने पहले साल दो हज़ार लोगों को ज़िंदा जलाया और सत्तर हज़ार को क़ैद व जुर्माना की सज़ा दी।[2]

3. गन्दे शरीर और मैले लिबास की वजह से जुओं की इतनी अधिकता थी कि जब ब्रिटेन का लाट पादरी बाहर निकलता, तो उसकी क़बा पर सैंकड़ों जुएं चलती फिरती नज़र आतीं।[3]

4. जब स्पेन में इस्लामी शासन पतन ग्रस्त हुआ, तो फ़िलिप द्वितीय

---

1. यूरोप पर इस्लाम के एहसान, अज़ डॉक्टर ग़ुलाम जीलानी बर्क़, पृ० 76
2. "यूरोप पर इस्लाम के एहसान" अज़ डॉक्टर ग़ुलाम जीलानी बर्क़, पृ० 90
3. "यूरोप पर इस्लाम के एहसान" अज़ डॉक्टर ग़ुलाम जीलानी बर्क़, पृ०77

Www.IslamicBooks.Website

(1598 ई०) ने तमाम हमाम आदेश देकर बन्द कर दिए क्योंकि उनसे इस्लाम की याद ताज़ा होती थी। इसी बादशाह ने असीला के गवर्नर को मात्र इसलिए पद से हटा दिया कि वह रोज़ाना हाथ मुंह धोता है।[1]

यह है एक संक्षिप्त सी झलक, उस क़ौम की जिसकी सभ्यता व संस्कृति की ओर हम लम्बे समय से पलट पलट कर देख रहे हैं।

अगर वर्त्तमान की तस्वीर देखनी हो तो उन लोगों से मालूम कीजिए जो कुछ समय यूरोप या अमेरिका में रह चुके हों या अभी भी रह रहे हों कि उन लोगों का पेशाब पाख़ाना करने या पति पत्नी के आपसी सम्बन्धों के बारे में पवित्रता की धारणा क्या है। सत्य यह है कि पाकी के सारे मामलात में नापाकी, गन्दगी, अशलीलता और नापाकी का यह हाल है कि ज़बान व्यक्त कर सकती है न क़लम लिख सकता है जिसे सुनते ही इंसान को पूरे के पूरे समाज और सोसाइटी से घिन आने लगती है। आज पूरे यूरोप और अमेरिका को भय व आतंक के जिस देव ने अपने शक्तिशाली पंजे में जकड़ा हुआ है, वह है (AIDS) की बीमारी, जो वास्तव में नतीजा है जानवरों की तरह गन्दे, नापाक और घ्रणित जीवन बसर करने का। अपने आरंभ और अंत से अचेत नफ़्स की इच्छा का अनुसरण करने वाले लोगों के बारे में क़ुरआन मजीद की यह टिप्पणी कितनी भली है :

﴿ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً ﴾ (٤٤:٢٥)

"उन लोगों की ज़िंदगी जानवरों की तरह बल्कि उनसे भी बदतर है।"

(सूरा फ़ुरक़ान : 44)

हकीमुल उम्मत अल्लामा इक़बाल ने जो बात पश्चिमी लोकतंत्र के बारे में कही थी शब्दों के कुछ हेर फेर के साथ वही बात पश्चिम की पाकी की धारणा पर भी ठीक ठीक फिट आती है।

तूने क्या देखा नहीं मग़रिब का तहज़ीबी निज़ाम
चेहरा रोशन अंदरून चंगेज़ से तारीक तर

1. "यूरोप पर इस्लाम के एहसान" अज़ डॉक्टर ग़ुलाम जीलानी बर्क़, पृ० 77

Www.IslamicBooks.Website

चलते चलते एक नज़र अपने पड़ौसी देश पर भी डाल लीजिए। जहां की अधिसंख्या हिन्दू मज़हब की अनुयायी है। कुछ साल पहले हिन्दुस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री मुरार जी देसाई (1977 ई०) का यह बयान देश के बड़े बड़े समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था कि "मैं रोज़ाना सुबह अपना पेशाब पीता हूं।" हिन्दू गाय का गोबर और पेशाब दोनों ही प्रसाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हमारे एक हिन्दी मुसलमान दोस्त ने बताया कि वह एक ऐसे हिन्दू हलवाई को जानता है जो रोज़ाना दुकान खोलने के बाद बरकत हासिल करने के लिए तमाम मिठाइयों पर गाय का पेशाब छिड़कता है। शायद आप को इस बात पर हैरत हो कि हिन्दू सभ्यता की तमाम किताबों में कहीं भी पाकी या पवित्रता के मसाइल का उल्लेख तक नहीं। अर्थात हर आदमी अपने स्वभाव और रूचि के अनुसार चाहे तो इंसानों जैसी ज़िंदगी बसर करे, चाहे तो जानवरों की सी। इसी तरह सिख धर्म में पवित्रता और पाकी की धारणा का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो भी सिख अपने सर के, बग़ल के या नाड़ी के नीचे के बाल साफ़ करवा दे या ख़तना करवा ले वह सिख धर्म से ही बाहर हो जाता है।

हक़ीक़त यह है कि पाकी और पवित्रता की जो शिक्षा इस्लाम ने दी है वह एक महान नेमत है, काश कोई महान व्यक्ति अपने भविष्य से निराश, पश्चिम की बेख़ुदा भौतिक सभ्यता को इस्लाम के उन उच्च व श्रेष्ठ साहित्यिक आदेशों से अवगत कराने का हक़ अदा कर सके।

अब पाकी के हवाले से दूसरे विषय हदीस के इन्कार के फ़ितने को लीजिए। हमारे यहां कुछ बुद्धिजीवियों और विचारकों ने यूं तो हदीस के इन्कार के लिए बहुत सी राहें निकालने की बहुत सी कोशिशें फ़रमाई हैं लेकिन इस समय बहस का विषय चूंकि केवल पाकी के मसाइल ही हैं। अतः हम इसी के हवाले से कुछ बातें करेंगे। सत्यता यह है कि पेशाब पाख़ाना, ग़ुस्ले जनाबत और मासिक धर्म जैसे मसाइल से नग्नता का सहारा लेते हुए इंकारे हदीस का दरवाज़ा खोलने की कोशिश मात्र एक नकारात्मक सोच का नतीजा है जो कि स्वयं रसूले अकरम सल्ल० के ज़माने में भी मौजूद थी। सय्यदना हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ि० से अहले किताब ने बड़े व्यंगात्मक

Www.IslamicBooks.Website

अंदाज़ में सवाल किया : "सुना है कि आप का पैग़म्बर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) आपको पेशाब पाख़ाना करने के तरीक़े भी सिखाता है? हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ि० ने किसी प्रकार की लज्जा महसूस करने या ख़ुशामदाना अंदाज़ इख़्तियार करने के बजाए बड़े विश्वास और गर्व से जवाब दिया कि हां हमारा पैग़म्बर हमें हर बात की शिक्षा देता है। यहां तक कि पेशाब पाख़ाना करने के तरीक़े और शिष्टाचार भी सिखाता है तो इस पर यहूदी व ईसाई अपना-सा मुंह लेकर रह गए। ज़रा सोचिए यदि रसूले रहमत सल्ल० उम्मत को पाकी के मसाइल की शिक्षा न देते तो आज हम भी दूसरी क़ौमों की तरह जानवरों की सी ज़िंदगी बसर करने में गर्व महसूस कर रहे होते। सकारात्मक सोच यही है कि रसूलुल्लाह सल्ल० का उम्मत पर यह महान उपकार मान लिया जाए कि आपने उम्मत को ज़िंदगी के किसी भी मामले में अंधेरों में भटकने के लिए बेसहारा नहीं छोड़ा बल्कि हर छोटे से छोटे मामले में ठीक ठीक मार्गदर्शन करके नुबुवत और रिसालत का पूरा पूरा हक़ अदा किया। यह आपका त्याग था कि दाम्पत्य जीवन के वे मामले और बातें, जो आम से आम आदमी भी किसी दूसरे के सामने करना पसन्द नहीं करता, रसूलुल्लाह सल्ल० ने मात्र उम्मत की शिक्षा और मार्गदर्शन के लिए लोगों को बताना पसन्द कर लिया। यहां यह बात समक्ष रहनी चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने या पाक पत्नियों ने ये मसाइल स्वयं सहाबा किराम और सहाबियात के सामने किसी ख़ुतबे या तक़रीर में बयान नहीं फ़रमाए बल्कि ज़रूरत के अनुसार जब कोई मसला मालूम करने के लिए हाज़िर होता तो उसे मुनासिब जवाब दिया जाता। ऐसे मसाइल पूछने पर आप सल्ल० या पाक पत्नियों की ओर से दो तरह की प्रतिक्रिया हो सकती थी। या तो उम्मत का मार्गदर्शन करके उन्हें एक साफ़ सुथरी पवित्र ज़िंदगी बसर करने का तरीक़ा सिखाया जाता या फिर सवालात करने वालों को डांट दिया जाता कि तुम कितने बेशर्म और गन्दे हो कि रसूलुल्लाह सल्ल० के घर आकर इस प्रकार की बातें मालूम करते हो। तनिक सोचिए कि वह हस्ती, जिसे दुनिया में भेजा ही इस उद्देश्य के लिए गया था कि वह लोगों को संवारे, उन्हें पाक और साफ़ करे, उस हस्ती से इन दोनों में से कौन से काम की आशा की जानी चाहिए थी?

Www.IslamicBooks.Website

इस मामले को एक और पहलू से भी देखना ज़रूरी है। रसूलुल्लाह सल्ल० जहां अत्यन्त दर्जे के शर्मीले और शालीन स्वभाव के मालिक थे वहीं अपनी उम्मत के एक एक व्यक्ति के हक़ में बड़े मेहरबान और हमदर्द भी थे। उम्मत के लिए एक व्यक्ति की भलाई और नजात सदैव आपके समक्ष रहती। अतः कुछ अवसरों पर ज़रूरत पड़ने पर आपने कुछ मामलों पर खुली बात की। मसाइल पाकी के अलावा उसकी एक स्पष्ट मिसाल हज़रत माइज़ असलमी रज़ि० के मुक़दमे की है जिसमें स्वयं हज़रत माइज़ रज़ि० ने सेवा में उपस्थित होकर चार बार ज़िना के अपराध को स्वीकारा। मामला चूंकि एक इंसान की ज़िंदगी का था इसलिए यदि आप सल्ल० मात्र सरसरी रूप से सुनने पर ही अपराधी को संगसार करने का फ़ैसला कर देते और बाद में अपराध साबित न होता या अपराध का मामला कम दर्जे का साबित होता, तो निश्चय ही रसूले अकरम सल्ल० को बहुत दुख पहुंचता अतः आपकी ज़बान मुबारक से कुछ ऐसे खुले शब्द अवश्य निकले जो उम्र भर आपकी ज़बाने मुबारक से कभी नहीं सुने गए। लेकिन आपने इस बात का पूरा पूरा इत्मीनान कर लिया कि अपराध वास्तव में हुआ है। फ़ैसले से पहले हज़रत माइज़ असलमी रज़ि० से आप सल्ल० की बातचीत देखिए :

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम : "शायद तुमने औरत से चूमना चाटना किया हो, छेड़ छाड़ की हो या बुरी नज़र से देखा हो?"

माइज़ असलमी रज़ि० : "नहीं ऐ अल्लाह के रसूल।"

रसूलुल्लाह सल्ल० : "क्या तूने उससे संभोग किया है?"

माइज़ असलमी रज़ि० : 'जी हां।"

रसूलुल्लाह सल्ल० : "जिस तरह सलाई, सुर्मादानी में और रस्सी कुएं में चली जाती है?"

माइज़ असलमी रज़ि० : "जी हां।"

रसूलुल्लाह सल्ल० : "ज़िना का मतलब समझते हो?"

माइज़ असलमी रज़ि : "हां, ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल०।"

रसूलुल्लाह सल्ल० : "कहीं शराब तो नहीं पी रखी?"

Www.IslamicBooks.Website

माइज़ असलमी रज़ि० : "नहीं, (एक आदमी ने मुंह सूंघकर उसकी पुष्टि की)।"

इस बातचीत के बाद रसूले अकरम सल्ल० ने हज़रत माइज़ असलमी रज़ि० को रजम करने का फ़ैसला फ़रमा दिया।

यह घटना विभिन्न शब्दों के साथ हदीस मुबारका की तमाम प्रख्यात किताबों में मौजूद है। अब इस घटना के दो तीन प्रत्यक्ष में खुले शब्दों को बुनियाद बनाकर सारे के सारे हदीस के भंडार को संदिग्ध बना देना मात्र नकारात्मक सोच और इल्मे हदीस से अनजान होने और अज्ञानता का ही नतीजा हो सकता है।

सही बात तो यह है कि उम्मत की शिक्षा और मार्गदर्शन के लिए अपनी ज़िंदगी के तमाम छोटे बड़े खुले और छुपे स्थल खोल कर उम्मत के सामने रख देने के त्याग और उपकार को स्वीकार करने की बजाए इंकारे हदीस की राह इख़्तियार करने वाले लोग इस्लाम को एक सम्पूर्ण दीन की सूरत में उम्मत तक पहुंचाने के रिसालत के कर्तव्य में गड़बड़ी व बाधा पैदा करके रसूले अकरम सल्ल० की ज़ाते अक़दस पर महान ज़ुल्म करने के अपराधी होते हैं।[1]

अन्त में हम मसाइल तहारत के हवाले से मां बाप का ध्यान इस बात की ओर दिलाना ज़रूरी समझते हैं कि हमारे यहां आम तौर पर नाबालिग़ बच्चों को व्यस्क की हद में दाख़िल होने से पहले उन मसाइल से अवगत करने के बारे में दो विभिन्न बाधाएं पाई जाती हैं। एक, वह वर्ग जो व्यस्क आयु से पहले न केवल यह कि अपने बच्चों को स्वयं उन मसाइल से अवगत करने में शर्म और झिझक महसूस करता है बल्कि अपने सामने बच्चों की ज़बान से उन मसाइल के बारे में कोई बात सुनना भी पसन्द नहीं करता। दूसरा, वह वर्ग जो उन मसाइल में इतनी आज़ाद सोच रखता है कि यूरोप

---

1. पाकी के मसाइल के हवाले से फ़ितना इंकारे हदीस के विषय पर विस्तृत अध्ययन के लिए प्रख्यात शोधकर्ता और बुद्धिजीवी जनाब अब्दुर्रहमान कीलानी साहब की किताब "आईना परवेज़ियत" तीसरा भाग देखें।

Www.IslamicBooks.Website

की तरह उन बच्चों को व्यस्क आयु से पहले स्कूलों में "जिन्सी शिक्षा" देने की ज़रूरत पर ज़ोर देता है। ये दोनों रास्ते उचित नहीं हैं। जो बच्चों में नैतिक बिगाड़ और ख़राबियां पैदा करने का कारण बनते हैं। सन्तुलित रास्ता यही है कि मां बाप बालिग़ होने के क़रीब पहुंचते हुए बच्चों के मसाइल का स्वयं आभास करें और दीनी शिक्षाओं की रोशनी में बच्चों का मार्गदर्शन का फ़र्ज़ बिगड़े हुए समाज और माहौल पर छोड़ने की बजाए स्वयं अदा करें। न तो ये मसाइल बताने में शर्म और झिझक महसूस करनी चाहिए कि अल्लाह के रसूल सबसे ज़्यादा लज्जा वाले थे, लेकिन इस मामले में आप सल्ल० ने ऐसा नहीं किया, न ही ये मसाइल मालूम करने में कोई शर्म या झिझक महसूस करनी चाहिए कि रसूले अकरम सल्ल० ने सहाबा किराम या सहाबियात रज़ि० को ऐसे मसाइल मालूम करने पर कभी रोका या टोका नहीं, बल्कि हज़रत आइशा रज़ि० मदीना मुनव्वरा की औरतों की इस बात पर प्रशंसा फ़रमाया करती थीं कि अंसार की औरतें कितनी अच्छी हैं कि मसाइल मालूम करने में शर्म महसूस नहीं करती। (मुस्लिम)

पाठकगणों! सही हदीसों की रोशनी में मसाइल के प्रकाशन से हमारे समक्ष ये उद्देश्य हैं :

1. लोगों में हदीसे रसूल सल्ल० के पढ़ने पढ़ाने, सीखने सिखाने और सुनने और सुनाने का रिवाज इसी तरह आम हो जिस तरह सहाबा किराम रज़ि० के ज़माना मुबारक में था। सहाबा किराम रज़ि० क़ुरआन मजीद की तरह हदीस पाक को भी याद करने का आयोजन फ़रमाया करते थे। क़ुरआन मजीद की तरह हदीस पाक की शिक्षा के लिए भी पठन पाठन के हलक़े क़ायम किए जाते थे। हज़रत अली रज़ि० सहाबा किराम रज़ि० से फ़रमाया करते कि हदीस का आपसी पाठ किया करो और एक दूसरे से (हदीस का ज्ञान सीखने सिखाने के लिए) मुलाक़ातें करते रहा करो, यदि ऐसा नहीं करोगे तो हदीस का ज्ञान बर्बाद हो जाएगा।

2. दीनी मसाइल को हदीसे रसूल सल्ल० के हवाले से क़ुबूल करने की सोच और फ़िक्र पैदा हो, लोग हदीसे रसूल सल्ल० से इतने परिचित हों कि दीनी मसाइल पर बातचीत के दौरान यह अन्तर करना ज़रूरी समझने लगें

Www.IslamicBooks.Website

कि यह हदीसे रसूल है या किसी विद्वान, फ़क़ीह या मुहद्दिस की राय है। इमाम इब्ने जुरीज फ़रमाते हैं कि मेरे उस्ताद हज़रत अता जब कोई मसला बयान फ़रमाते तो मैं पूछता, यह हदीसे रसूल है या किसी आदमी की राय? यदि हदीस होती तो फ़रमाते यह ज्ञान अर्थात हदीस है और यदि विद्वान के शोध किए हुए नताइज से उसका संबंध होता तो फ़रमाते यह राय है।

3. हदीसे रसूल सल्ल० की वैधानिक हैसियत और शरई मक़ाम लोगों के ज़ेहनों में इतना स्पष्ट हो जाए कि अपने तमाम कर्मों की बुनियाद हदीसे रसूल को ही बनाएं। हदीसे रसूल सल्ल० का ज्ञान होते ही तमाम सुने सुनाए और रिवाजी मसाइल बिला झिझक और बिला कराहत छोड़ दें और सुन्नते रसूल पर पूरे इत्मीनान और खुले दिल के साथ अमल करना शुरू कर दें। सहाबा किराम रज़ि० ताबईन और तबअ़ ताबईन का यही तरीक़ा था।

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संघर्ष किसी व्यक्ति, किसी सम्प्रदाय, किसी मसलक या किसी गिरोह की ओर दावत नहीं बल्कि केवल और केवल क़ुरआन व हदीस की शिक्षा आम करने और विशुद्ध किताब व सुन्नत पर अमल करने की दावत है। अतः हम पाठकों से यह आशा रखते हैं कि हमारी कोशिशों में वे भी अपना फ़र्ज़ भरपूर तरीक़े से अदा करेंगे। हदीसे रसूल सल्ल० 'बल्लिग़ू अ़न्नी वलव आयतन' की रोशनी में हर मुसलमान अपने ज्ञान के अनुसार दूसरों तक बात पहुंचाने का पाबन्द है जिसका अज्र व सवाब अल्लाह के यहां निश्चय ही बहुत अधिक है।

इस किताब में भी सहीह और हसन दर्जे की अहादीस का स्तर क़ायम रखने की पूरी कोशिश की गई है। फिर भी हम विद्वानों से आशा करते हैं कि वे कहीं भी कोई ग़लती पाएं तो ज़रूर सूचित करें। सहीह हदीस के मामले में हमारा दिल इंशाअल्लाह हमेशा खुला रहेगा। हमें न तो किसी मसलक से ऐसी मुहब्बत है न ऐसा बैर कि ज़ईफ़ हदीस के मुक़ाबले में सहीह हदीस मिल जाने के बावजूद मात्र किसी मसलक की हिमायत या विरोध के लिए अपनी बात पर जमे रहें। हमारी तमाम तर मुहब्बत का केन्द्र और निशाना केवल और केवल सहीह हदीस है। अतः किताब में मौजूद कोई ज़ईफ़ हदीस साबित हो जाए या उसके मुक़ाबले में ज़्यादा मज़बूत हदीस मिल जाए तो

Www.IslamicBooks.Website

हम अपनी राय में उसे इख़्तियार करने में इंशाअल्लाह क्षण भर का संकोच भी नहीं करेंगे।

वालिद मोहतरम हाफ़िज़ मुहम्मद इदरीस कीलानी साहब ने किताब को ध्यान से देखने के साथ साथ अहादीस की तख़रीज का मेहनत भरा कार्य भी अंजाम दिया। फ़ जज़ाहुमुल्लाहु ख़ैरा।[1] अन्य तमाम लोग जिन्होंने किताब पूर्ण करने में किसी न किसी तरह हिस्सा लिया है, अल्लाह तआला उन सबकी कोशिशों को स्वीकार कर दुनिया व आख़िरत में अपने इनामों से नवाज़े। (आमीन)

﴿ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾

ऐ हमारे पालनहार! हमारी यह सेवा क़ुबूल फ़रमा। तू निश्चय ही हर बात सुनने वाला और जानने वाला है। ऐ हमारे पालनहार! हम पर दया की नज़र कर, तू निश्चय ही तौबा क़ुबूल करने वाला और दया करने वाला है।

1. वालिद मोहतरम हाफ़िज़ मुहम्मद इदरीस कीलानी रह०13 अक्टूबर, 1992 ई० को इस दुनिया से चले गए। पाठकों से प्रार्थना है कि वे मरहूम के लिए मग़फ़िरत और बुलन्द दर्जात की दुआ फ़रमाएं। —लेखक

Www.IslamicBooks.Website

अल्लाह पाकी इख़्तियार करने वालों से मुहब्बत करता है। (सूरा तौबा, 108)

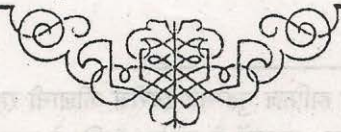

Www.IslamicBooks.Website

النِّيَّـــةُ

नीयत के मसाइल

मसला 1. कर्मों के अज्र व सवाब का आधार नीयत पर है।

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِىءٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि० कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्ल० को फ़रमाते हुए सुना है कि "कर्मों का आधार नीयतों पर है।" हर व्यक्ति को वही मिलेगा जिसकी उसने नीयत की, अतः जिस व्यक्ति ने दुनिया हासिल करने की नीयत से हिजरत की उसे दुनिया मिलेगी और जिसने किसी औरत से निकाह के लिए हिजरत की उसे औरत ही मिलेगी। तो मुहाजिर की हिजरत का बदला वही है जिसके लिए उसने हिजरत की। इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[1]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، فَقَالَ مَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ قَالَ: كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ، وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ قَالَ: كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ إِنَّكَ عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِىءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ

1. अध्याय कैफ़।

Www.IslamicBooks.Website

وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا. قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلاَّ أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ. قَالَ: كَذَبْتَ، وَلٰكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले एक शहीद लाया जाएगा। अल्लाह तआला उसे अपनी नेमतें गिनवाएगा और शहीद उन नेमतों का इक़रार करेगा। अल्लाह तआला उससे पूछेगा, तूने इन नेमतों का हक़ अदा करने के लिए क्या अमल किया। वह कहेगा, मैंने तेरी राह में जंग की, यहां तक कि शहीद हो गया। अल्लाह तआला इरशाद फ़रमाएगा, तू झूठ कहता है। तूने बहादुर कहलवाने के लिए जंग की तो दुनिया में तुझे बहादुर कहा गया। फिर (फ़रिश्तों को) हुक्म होगा और उसे मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। उसके बाद वह आदमी लाया जाएगा जिसने स्वयं भी ज्ञान सीखा और दूसरों को भी सिखाया और क़ुरआन पढ़ा। अल्लाह तआला उसे अपनी नेमतें याद दिलाएगा और वह (आलिम) उनका इक़रार करेगा। तब अल्लाह तआला उससे पूछेगा, उन नेमतों का शुक्रिया अदा करने के लिए तूने क्या अमल किया? वह कहेगा, या अल्लाह! मैंने ज्ञान सीखा, लोगों को सिखाया और तेरे लिए लोगों को क़ुरआन पढ़कर सुनाया। अल्लाह तआला इरशाद फ़रमाएगा, तूने झूठ कहा है तूने ज्ञान इसलिए सीखा ताकि लोग तुझे विद्वान कहें और क़ुरआन इसलिए पढ़कर सुनाया कि लोग तुझे क़ारी कहें तो दुनिया ने तुझे विद्वान और क़ारी कहा, फिर हुक्म होगा और उसे मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। उसके बाद तीसरा आदमी लाया जाएगा जिसे दुनिया में सम्पन्नता और हर तरह की दौलत से नवाज़ा गया था। अल्लाह तआला उसे अपनी नेमतें जतलाएगा। वह व्यक्ति उन नेमतों का इक़रार करेगा। फिर अल्लाह तआला सवाल करेगा, मेरी नेमतों को पाकर तूने

Www.IslamicBooks.Website

क्या काम किए? वह कहेगा, या अल्लाह मैंने तेरी राह में उन तमाम जगहों पर माल ख़र्च किया जहां तुझे पसन्द था। अल्लाह तआला इरशाद फ़रमाएगा कि तूने झूठ कहा। तूने केवल इसलिए माल ख़र्च किया ताकि लोग तुझे दानी कहें और दुनिया ने तुझे दानी कहा। फिर हुक्म होगा और उसे मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

1. मुख़्तसर सहीह मुस्लिम, लिल अलबानी, हदीस 1089

Www.IslamicBooks.Website

فَضْلُ الطَّهَارَةِ

तहारत (पाकी) की श्रेष्ठता

मसला 2. पाकी आधा ईमान है।

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «الطُّهُوْرُ شَطْرُ الإِيْمَانِ، وَالْحَمْدُ للهِ تَمْلأُ الْمِيْزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ تَمْلآنِ أَوْ تَمْلأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَالصَّلاَةُ نُوْرٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُوا فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوْبِقُهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

हज़रत मालिक अशअरी रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "पाकी आधा ईमान है।" (एक बार) अलहम्दुलिल्लाह कहना तराज़ू को (नेकियों से) भर देता है। सुब्हानल्लाह और अलहम्दुल्लिाह कहना ज़मीन व आसमान के बीच सारी जगह को (नेकियों) से भर देता है। नमाज़ (दुनिया और आख़िरत में चेहरे का) नूर है। सदक़ा (क़यामत के दिन नजात का) साधन है। सब्र रोशनी है और क़ुरआन मजीद (क़यामत के दिन) तेरे हक़ में या तेरे विरुद्ध गवाही देगा। हर आदमी सुबह उठता है तो उसकी जान गिरवी होती है जिसे या तो वह (नेकी करके) आज़ाद करा लेता है या (गुनाह करके) विनष्ट करता है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

मसला 3. वुज़ू (पाकी) करने से हाथ मुंह और पांव के तमाम छोटे गुनाह माफ़ हो जाते हैं।

عَنْ عَبْدِاللهِ الصُّنَابِحِي رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَمَضْمَضَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فِيْهِ، وَإِذَا اسْتَنْثَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ، فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ حَتَّى

1. मुख़्तसर सहीह मुस्लिम, लिल अलबानी, हदीस 120

Www.IslamicBooks.Website

تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ يَدَيْهِ فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ رِجْلَيْهِ ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلاَتُهُ نَافِلَةً لَهُ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

(حَسَنٌ)

हज़रत अब्दुल्लाह सुनाबिही रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : जब मोमिन आदमी वुज़ू करने के लिए कुल्ली करता है तो उसके मुंह के (छोटे) गुनाह ख़त्म हो जाते हैं। जब नाक माफ़ करता है तो नाक के (छोटे) गुनाह माफ़ हो जाते हैं, जब चेहरा धोता है तो चेहरे के (छोटे) गुनाह ख़त्म हो जाते हैं। यहां तक कि आंखों की पल्कों के गुनाह भी ख़त्म हो जाते हैं। फिर जब हाथ धोता है, तो हाथ के (छोटे) गुनाह ख़त्म हो जाते हैं। यहां तक कि नाख़ूनों के नीचे से भी गुनाह मिट जाते हैं। फिर जब आदमी सर का मसह करता है तो सर के (छोटे) गुनाह माफ़ हो जाते हैं। यहां तक कि कानों के गुनाह भी मिट जाते हैं। जब पांव धोता है, तो पांव के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। यहां तक कि पांव के नाख़ूनों से भी गुनाह निकल जाते हैं। (वुज़ू करने के बाद) आदमी मस्जिद की और आता है और नमाज़ पढ़ता है तो ये सारे कर्म उसकी नेकी में वृद्धि (अर्थात बुलन्दी दर्जात) का कारण बनते हैं। इसे नसाई ने रिवायत किया है।[1]

1. किताबुत्तहारत।

Www.IslamicBooks.Website

أَهَمِّيَّةُ الطَّهَارَةِ

तहारत (पाकी) का महत्व

मसला 4. पाकी के बिना नमाज़ नहीं होती।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طَهُوْرٍ، وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُوْلٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्ल० को फ़रमाते हुए सुना : अल्लाह पाकी के बिना नमाज़ क़ुबूल नहीं फ़रमाता और माले ग़नीमत से चोरी किए हुए माल का सदक़ा क़ुबूल नहीं फ़रमाता। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُوْرُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه (صَحِيْح)

हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ि० नबी अकरम सल्ल० से रिवायत करते हैं कि आप सल्ल० ने फ़रमाया : पाकी नमाज़ की कुंजी है। नमाज़ की शुरुआत तक्बीर और समापन सलाम फेरना है। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।[2]

मसला 5. पेशाब करने के बाद पाकी से ग़फ़लत बरतने पर अज़ाबे क़ब्र होता है।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «عَامَّةُ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْبَوْلِ فَاسْتَنْزِهُوْا مِنَ الْبَوْلِ». رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارُقُطْنِيُّ. (صَحِيْح)

---

1. किताबुत्तहारत।
2. सहीह इब्ने माजा, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 222

Www.IslamicBooks.Website

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : क़ब्र में ज़्यादातर अज़ाब पेशाब के मामले में होता है। अतः उससे सावधानी बरतो। इसे बज़्ज़ार, तिबरानी, हाकिम और दारे क़ुतनी ने रिवायत किया है।[1]

1. सहीह अत्तर्ग़ीब वत्तर्हीब, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 152

Www.IslamicBooks.Website

أَلْمَـــاءُ

पानी के मसाइल

मसला 6. पानी पाक है और पाक करने वाला है।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا نَرْكَبُ البَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا القَلِيْلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وأَبُوْ دَاوُدَ والنَّسائِيُّ والتِّرمِذِيُّ وابنُ مَاجَه. (صحيح)

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्ल० से पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल हम समुद्र का सफ़र करते हैं, तो थोड़ा सा पानी साथ ले जाते हैं अगर उससे वुज़ू कर लें तो प्यासे रह जाएं। क्या हम समुद्र के पानी से वुज़ू कर लें? आप सल्ल० ने फ़रमाया : समुद्र का पानी पाक है और उसमें मरा हुआ जानवर (मछली) हलाल है। इसे अहमद, अबू दाऊद, नसाई, तिर्मिज़ी और इब्ने माजा ने रिवायत किया है।[1]

मसला 7. पाक चीज़ पानी का रंग या स्वाद (या दोनों) बदल दे तब भी पानी पाक ही रहता है।

عَنْ أُمِّ هَانِيءٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: اغْتَسَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هُوَ وَمَيْمُوْنَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِيْ قَصْعَةٍ فِيْهَا أَثَرُ العَجِيْنِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. (صحيح)

हज़रत उम्मे हानी रज़ि० फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० और हज़रत मैमूना रज़ि० ने एक टब के पानी से ग़ुस्ल फ़रमाया। पानी में गुंधे हुए आटे का असर था। इसे नसाई ने रिवायत किया है।[2]

मसला 8. बिल्ली का झूठा पानी नापाक नहीं होता।

---

1. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 76
2. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 3480

Www.IslamicBooks.Website

मसला 9. पति पत्नी दोनों एक ही समय एक ही बर्तन के पानी से वुज़ू कर सकते हैं।

عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: كُنْتُ أَتَوَضَّأُ أَنَا وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فَدْ أَصَابَتْ مِنْهُ الهِرَّةُ قَبْلَ ذٰلِكَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه (صحيح)

हज़रत आइशा रज़ि० फ़रमाती हैं कि मैं और रसूलुल्लाह सल्ल० एक ही बर्तन से वुज़ू करते यद्यपि उस पानी से बिल्ली पी चुकी होती। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।[1]

عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي الهِرَّةِ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ والطَّوَّافَاتِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ والتِّرْمِذِيُّ وابْنُ مَاجَه. (صحيح)

हज़रत अबू क़तादा रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने बिल्ली के बारे में फ़रमाया कि यह नापाक नहीं बल्कि तुम्हारे पास (घरों में) आती जाती रहती है। इसे अबू दाऊद, नसाई, तिर्मिज़ी और इब्ने माजा ने रिवायत किया है।[2]

मसला 10. इस्तेमाल शुदा पानी में नजासत न पड़ी हो तो पाक ही रहता है।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ رَسُوْلُ اللهِ يَعُوْدُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ لاَأَعْقِلُ فَتَوَضَّأَ وَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وُضُوئِهِ فَعَقَلْتُ، رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि० कहते हैं कि मैं बीमारी की वजह से बेहोश था। रसूलुल्लाह सल्ल० मेरी बीमारपुर्सी के लिए तशरीफ़ लाए। आपने वुज़ू किया और वुज़ू से बचा हुआ पानी मुझ पर डाल दिया तो मुझे होश आ गया। इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[3]

मसला 11. पानी में गन्दगी शामिल हो जाए तो पानी नापाक हो जाता है।

---

1. सहीह इब्ने माजा, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 295
2. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 68
3. किताबुल वुज़ू।

Www.IslamicBooks.Website

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

हज़रत जाबिर रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने खड़े पानी में पेशाब करने से मना फ़रमाया है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

1. किताबुत्तहारत।

Www.IslamicBooks.Website

آدابُ الْخَـــــلاَءِ

पेशाब पाख़ाना करने के मसाइल

मसला 12. बैतुल ख़ला में दाख़िल होने और निकलने की मसनून दुआ यह है।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ يَقُوْلُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

हज़रत अनस रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० जब बैतुल ख़ला में दाख़िल होते, तो फ़रमाते :

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ».

या अल्लाह मैं नापाक जिन्नों और जिन्नियों से तेरी पनाह मांगता हूं। इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ: «غُفْرَانَكَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه. (صَحِيْح)

हज़रत आइशा रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० जब बैतुल ख़ला से बाहर आते, तो 'गुफ़रा-न-क' (या अल्लाह मैं तेरी बख़्शिश चाहता हूं) फ़रमाते। इसे अहमद, अबू दाऊद, नसाई, तिर्मिज़ी और इब्ने माजा ने रिवायत किया है।[2]

मसला 13. बैतुल ख़ला में अल्लाह तआला के नाम वाली कोई चीज़ साथ नहीं ले जानी चाहिए।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

---

1. सहीह मुस्लिम, किताबुल हैज़।
2. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 23

Www.IslamicBooks.Website

हज़रत अनस बिन मालिक रज़ि० फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० जब बैतुल ख़ला में जाने का इरादा फ़रमाते तो अपनी अंगूठी (जिस पर मुहम्मद रसूलुल्लाह अंकित था) उतार दिया करते थे। इसे तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने माजा ने रिवायत किया है।[1]

मसला 14. खुले मैदान में पाख़ाना करने के समय मुंह या पीठ क़िबला की ओर नहीं करनी चाहिए अलबत्ता ग़ुस्लख़ाने के अंदर या दीवार की ओट में ऐसा किया जा सकता है।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَةٍ فَلاَ يَسْتَقْبِلَنَّ الْقِبْلَةَ وَلاَ يَسْتَدْبِرْهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया, जब कोई आदमी पाख़ाना करने के लिए बैठे तो मुंह या पीठ क़िबला की ओर न करे। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[2]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَقِيْتُ عَلَى بَيْتِ أُخْتِي حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَاعِداً لِحَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० फ़रमाते हैं कि मैं अपनी बहन (उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ़्सा रज़ि०) के घर छत पर चढ़ा, तो मैंने रसूलुल्लाह सल्ल० को (छत पर) पाख़ाना करने के लिए बैठे हुए देखा। आप सल्ल० का मुंह शाम की ओर और पीठ क़िबले की तरफ़ थी।[3]

स्पष्टीकरण : हज़रत हफ़्सा बिन्ते हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि०, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० की बहन और रसूलुल्लाह सल्ल० की पाक पत्नी थीं।

मसला 15. पाख़ाना करने के समय गुप्तांग को दायां हाथ लगाना मना है।

---

1. सुनन इब्ने माजा किताबुत्तहारत।
2. किताबुत्तहारत।
3. किताबुत्तहारत।

Www.IslamicBooks.Website

मसला 16. दाएं हाथ से इस्तिंजा करना मना है।

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لاَ يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ وَهُوَ يَبُوْلُ وَلاَ يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلاَءِ بِيَمِيْنِهِ وَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

हज़रत अबू क़तादा रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया, पेशाब करते समय कोई आदमी पेशाब की जगह को दाएं हाथ से न छुए न ही दाएं हाथ से इस्तिंजा करे और न ही (कोई चीज़ पीते समय) बर्तन में फूंक मारे। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

मसला 17. पाकी दायीं ओर से शुरू करनी चाहिए।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي طُهُوْرِهِ إِذَا تَطَهَّرَ، وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ، وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

हज़रत आइशा रज़ि० फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० पाकी करने, कंघा करने और जूता पहनने में दायीं ओर से शुरू करना पसन्द फ़रमाया करते थे। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[2]

मसला 18. रास्ते और साए की जगह में पाख़ाना करना मना है।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اتَّقُوْا اللاَّعِنَيْنِ قَالُوْا: وَمَا اللاَّعِنَانِ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيْقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया, लोगो! लानत के दो कामों से बचो। सहाबा किराम ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्ल० लानत के वे दो काम कौन से हैं? आप सल्ल० ने फ़रमाया, लोगों की गुज़रगाह और सायादार जगह पर पाख़ाना करना। इसे

---

1. किताबुत्तहारत
2. किताबुत्तहारत

Www.IslamicBooks.Website

मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

मसला 19. इस्तिंजा करने के लिए मिट्टी के कम से कम तीन ढेले या पानी इस्तेमाल करना चाहिए।

मसला 20. गोबर और हड्डी से इस्तिंजा करना मना है।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةٍ فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

हज़रत अनस रज़ि फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० जब पाख़ाना के लिए तशरीफ़ ले जाते तो मैं और मेरी उम्र का एक दूसरा लड़का पानी का लोटा और बरछी उठाकर आपके साथ जाते। रसूलुल्लाह सल्ल० (पाख़ाना के बाद) पानी से पाकी हासिल करते। इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।[2]

عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قِيْلَ لَهُ قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ ﷺ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ، قَالَ: فَقَالَ أَجَلْ ، لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِيْنِ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيْعٍ أَوْ بِعَظْمٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ि० से (हंसी में) कहा गया, तुम्हारे नबी सल्ल० ने तुम्हें हर चीज़ की शिक्षा दी है। यहां तक कि पेशाब और पाख़ाना की भी? हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ि० ने कहा, हां! रसूलुल्लाह सल्ल० ने हमें पेशाब पाख़ाना करते समय क़िबला की ओर मुंह करने से मना फ़रमाया है। इस्तिंजा करते समय दायां हाथ इस्तेमाल करने से मना फ़रमाया है। तीन पत्थरों से कम में इस्तिंजा करने से मना फ़रमाया है। और गोबर और हड्डी के साथ इस्तिंजा करने से मना फ़रमाया है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[3]

---

1. किताबुत्तहारत।
2. सहीह मुस्लिम, किताबुत्तहारत, अध्याय नह्य अनिल बोल।
3. किताबुत्तहारत।

Www.IslamicBooks.Website

मसला 21. नमाज़ से पहले पेशाब पाख़ाना से निमटना ज़रूरी है। पेशाब पाख़ाना के समय नमाज़ खड़ी हो जाए तो पहले इत्मीनान से पेशाब पाख़ाना से निमटना चाहिए।

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَبْدَأْ بِهِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه. (صحيح)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अरक़म रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "जब कोई व्यक्ति पाख़ाना के लिए जाने का इरादा करे और उधर नमाज़ खड़ी हो जाए तो उसे पहले पाख़ाना से निमट जाना चाहिए।" इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।[1]

मसला 22. पेशाब पाख़ाना के लिए पर्दे का आयोजन ज़रूरी है।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الْأَرْضِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ. (صحيح)

हज़रत अनस रज़ि० फ़रमाते हैं कि नबी अकरम सल्ल० पेशाब पाख़ाना के लिए बैठने लगते, तो ज़मीन के क़रीब पहुंचकर कपड़ा उठाते (ताकि बेपर्दगी न हो)। इसे तिर्मिज़ी, अबू दाऊद और दारे क़ुतनी ने रिवायत किया है।[2]

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ الْبَرَازَ انْطَلَقَ حَتَّى لَا يَرَاهُ أَحَدٌ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ. (صحيح)

हज़रत जाबिर रज़ि० फ़रमाते हैं कि नबी अकरम सल्ल० जब पेशाब पाख़ाना का इरादा फ़रमाते (तो बस्ती से) इतनी दूर निकल जाते कि कोई भी आप सल्ल० को न देख पाता। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।[3]

मसला 23. मिट्टी के तीन ढेलों से इस्तिंजा करने के बाद पानी इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं।

---

1. सहीह सुनन इब्ने माजा, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 499
2. सहीह सुनन तिर्मिज़ी, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 13
3. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 2

Www.IslamicBooks.Website

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيْبُ بِهِنَّ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ. (حسن)

हज़रत आइशा रज़ि० कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया जब पेशाब पाख़ाना के लिए जाओ तो मिट्टी के तीन ढेले साथ ले जाओ। पानी की बजाए यही काफ़ी हैं। (अर्थात ढेलों से पूर्ण पाकी हासिल हो जाएगी जिसके बाद नमाज़ पढ़नी जाइज़ है।) इसे अहमद, अबू दाऊद, नसाई और दारे क़ुतनी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 24. इस्तिंजा और वुज़ू के लिए अलग अलग बर्तन इस्तेमाल करने चाहिएं।

मसला 25. इस्तिंजा करने के बाद हाथ पाक करने के लिए कलिमा शहादत पढ़ना सुन्नत से साबित नहीं।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَى الْخَلَاءَ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِي تَوْرَةٍ أَوْ رَكْوَةٍ فَاسْتَنْجَى ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِإِنَاءٍ آخَرَ فَتَوَضَّأَ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُد (حسن)

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० फ़रमाते हैं कि नबी अकरम सल्ल० जब पाख़ाना के लिए तशरीफ़ लाते, तो मैं आपको पानी का लोटा या चमड़े की छागल लाकर देता। आप सल्ल० इस्तिंजा करते और मिट्टी पर हाथ मलकर साफ़ करते। फिर मैं आपको दूसरे बर्तन में पानी देता तो आप वुज़ू फ़रमाते। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।[2]

मसला 26. पेशाब पाख़ाना के दौरान बात करना मना है।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً مَرَّ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَبُوْلُ فَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह

1. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 2
2. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 2

Www.IslamicBooks.Website

सल्ल० पेशाब कर रहे थे। एक आदमी का उधर से गुज़र हुआ तो उसने आपको सलाम किया, लेकिन आपने उसका जवाब नहीं दिया। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

मसला: 27. पेशाब पाख़ाना के बाद इस्तिंजा कर लेने से पाकी हासिल हो जाती है वुज़ू करना ज़रूरी नहीं।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَ مِنَ الْغَائِطِ وَأُتِيَ بِطَعَامٍ فَقِيْلَ لَهُ أَلاَ تَتَوَضَّأُ؟ قَالَ: لِمَ ؟ أُلِصَّلاَةِ ؟. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० फ़रमाते हैं कि हम नबी अकरम सल्ल० के पास थे। आप पेशाब पाख़ाना के बाद तशरीफ़ लाए, तो खाना लाया गया। कहा गया, आप (खाने से पहले) वुज़ू नहीं फ़रमाएंगे? आप सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया, "क्या नमाज़ पढ़नी है कि वुज़ू करूं।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[2]

मसला 28. पेशाब पाख़ाना से पाकी हासिल करने के बाद हाथों को मिट्टी या साबुन आदि से अच्छी तरह साफ़ करना चाहिए।

عَنْ مَيْمُوْنَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ دَلَكَ بِهَا الْحَائِطَ ثُمَّ غَسَلَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

हज़रत मैमूना रज़ि० (उम्मुल मोमिनीन) से रिवायत किया है कि नबी अकरम सल्ल० ने ग़ुस्ल जनाबत शुरू किया तो पहले अपने (बाएं) हाथ से गुप्तांगों को धोया फिर वह हाथ दीवार पर रगड़ा फिर उसे पानी से धोया फिर नमाज़ के वुज़ू की तरह का वुज़ू किया। इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[3]

मसला 29. खड़े होकर पेशाब करना मना है। अलबत्ता बीमारी या तकलीफ़ के कारण खड़े होकर पेशाब करने की इजाज़त है।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَالَ قَائِمًا فَلاَ تُصَدِّقُوْهُ مَا كَانَ يَبُوْلُ إِلاَّ جَالِسًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

1. किताबुल हैज़, अध्याय तयम्मुम।
2. किताबुल हैज़।
3. सहीह सुनन नसाई, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 29

Www.IslamicBooks.Website

हज़रत आइशा रज़ि० फ़रमाती हैं कि जो व्यक्ति यह कहे कि रसूलुल्लाह सल्ल० खड़े होकर पेशाब करते थे, उसकी पुष्टि मत करो, क्योंकि आप सल्ल० सदैव बैठकर पेशाब किया करते थे। इसे अहमद, नसाई, तिर्मिज़ी और इब्ने माजा ने रिवायत किया है।[1]

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُنِي أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ نَتَمَاشَى فَأَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ خَلْفَ حَائِطٍ فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ فَبَالَ فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ فَأَشَارَ إِلَيَّ فَجِئْتُهُ فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى فَرَغَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ि० फ़रमाते हैं कि नबी अकरम सल्ल० जा रहे थे कि हमारा गुज़र किसी क़ौम के कूड़े करकट के ढेर पर हुआ, तो नबी अकरम सल्ल० एक दीवार के पीछे खड़े हुए और पेशाब किया। मैं आपसे अलग हो गया, तो आपने इशारे से मुझे अपने पास बुलाया (ताकि परदा हो जाए) अतएव मैं आप सल्ल० के पीछे खड़ा हो गया यहां तक कि आप पेशाब से निमट गए। इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[2]

स्पष्टीकरण : खड़े होकर पेशाब करने के बारे में कहा गया है कि आप सल्ल० के पांव में घाव था जिसकी वजह से आपके लिए बैठना मुमकिन न था या बैठने के लिए मुनासिब जगह न थी।

मसला 30. बीमारी, बुढ़ापा या सर्दी के कारण बर्तन में पेशाब करना सही है।

عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَدَحٌ مِنْ عِيدَانٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ يَبُولُ فِيهِ بِاللَّيْلِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. (حسن)

हज़रत उमैमा बिन्ते रुक़ैक़ा रज़ि० फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० की चारपाई के नीचे एक लकड़ी का प्याला रखा रहता। जिसमें आप सल्ल० रात के समय पेशाब किया करते थे। इसे अबू दाऊद और नसाई ने रिवायत किया है।[3]

---

1. सहीह सुनन नसाई, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 209
2. किताबुल वुज़ू।
3. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 19

Www.IslamicBooks.Website

إِزَالَــةُ النَّجَاسَــةِ

नापाकी दूर करने के मसाइल

मसला 31. गन्दगी और नापाकी दूर करने के लिए बायां हाथ इस्तेमाल करना चाहिए।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَتْ يَدُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الْيُمْنَى لِطُهُوْرِهِ وطَعَامِهِ، وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى لِخَلَائِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ. (صحيح)

हज़रत आइशा रज़ि० फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० वुज़ू और खाने के लिए दायां हाथ इस्तेमाल फ़रमाते। इस्तिंजा और दूसरी नापाकी दूर करने के लिए बायां हाथ इस्तेमाल फ़रमाते थे। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।[1]

मसला 32. दूध पीता बच्चा कपड़े पर पेशाब कर दे तो उस पर पानी छिड़क देना काफ़ी है, लेकिन दूध पीती बच्ची के पेशाब को धोना ज़रूरी है।

عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «بَوْلُ الْغُلَامِ الرَّضِيْعِ يُنْضَحُ، وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ». قَالَ قَتَادَةُ: وَهٰذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا فَإِذَا طَعِمَا غُسِلَ جَمِيْعًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ (حسن)

हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया, दूध पीते बच्चे के पेशाब पर पानी छिड़क दिया जाए और दूध पीती बच्ची के पेशाब को धोया जाए। हज़रत क़तादा रज़ि० फ़रमाते हैं कि यह हुक्म उस समय तक है जब तक ग़ल्ला न खाएं, जब खाने लगें तो दोनों के पेशाब धोए जाएंगे। इसे अहमद और तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।[2]

---

1. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 26
2. मंतक़ी अख़्बार, किताबुत्तहारत।

Www.IslamicBooks.Website

عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَتَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بِابْنٍ لَهَا لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ فَوَضَعَتْهُ فِي حِجْرِهِ فَبَالَ، قَالَ: فَلَمْ يَزِدْ عَلَى أَنْ نَضَحَ بِالْمَاءِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

हज़रत उम्मे क़ैस बिन्त मिहसन रज़ि० से रिवायत है कि वह अपना बेटा रसूलुल्लाह सल्ल० के पास लेकर हाज़िर हुई, जो अभी अनाज नहीं खाता था। उसे हुज़ूर अकरम सल्ल० ने गोद में बिठाया, तो उसने पेशाब कर दिया। हुज़ूर अकरम सल्ल० ने उसके ऊपर पानी छिड़कने के अलावा कुछ नहीं किया। (अर्थात उसे धोया नहीं) इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

मसला 33. कपड़े पर वीर्य या कोई दूसरी गन्दगी लग जाए तो उतनी जगह पानी से धोकर नमाज़ पढ़ लेनी चाहिए चाहे उसका निशान बाक़ी रहे।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ ﷺ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ فِي ثَوْبِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

हज़रत आइशा रज़ि० फ़रमाती हैं, मैं नबी अकरम सल्ल० के कपड़े से नापाकी धो देती। फिर आप नमाज़ के लिए तशरीफ़ ले जाते और पानी की नमी कपड़ों पर बाक़ी होती। इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[2]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ أَرَاهُ فِيْهِ بُقْعَةً أَوْ بُقَعًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

हज़रत आइशा रज़ि० से रिवायत है कि वह नबी अकरम सल्ल० के कपड़े से वीर्य धो डालतीं, लेकिन वीर्य का निशान या निशानात कपड़े पर बाक़ी रहते। इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[3]

मसला 34. अहले किताब के बर्तन धोते समय या धोने के बाद कलिमा शहादत आदि पढ़ना सुन्नत से साबित नहीं।

मसला 35. मजबूरी की हालत में अहले किताब के बर्तन पानी से धोकर इस्तेमाल करने जाइज़ हैं।

---

1. किताबुत्तहारत।
2. किताबुल वुज़ू, अध्याय ग़ुस्ल मनी।
3. किताबुल वुज़ू, अध्याय आज़ा ग़ुस्ल जनाबत।

Www.IslamicBooks.Website

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِنَّا أَهْلُ سَفَرٍ نَمُرُّ بِالْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى وَالمجوسِ فَلاَ نَجِدُ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا غَيْرَهَا فَاغْسِلُوْهَا بِالْمَاءِ ثُمَّ كُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوْا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. (صحيح)

हज़रत अबू सालबा रज़ि० ने रसूलुल्लाह सल्ल० से मालूम किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल०! हम सफ़र करने वाले लोग हैं, हमारा गुज़र यहूद व नसारा और मजूसियों पर होता है और उनके बर्तनों के अलावा हमें कोई बर्तन उपलब्ध नहीं होता। (इस बारे में क्या हुक्म है)। रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया, अगर अहले किताब के बर्तनों के अलावा कोई बर्तन न मिले तो उनको पानी से धो लो और उनमें खाओ पियो। इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 36. जूतों से लगी नापाकी जूतों को मिट्टी पर रगड़ने से दूर हो जाती है।

मसला 37. पानी के अलावा पाक मिट्टी भी गन्दगी और नापाकी को दूर कर देती है।

عَنْ ابِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَيْهِ فَلْيَنْظُرْ فِيهِمَا فَإِنْ رَأَى خَبَثًا فَلْيَمْسَحْهُ بِالأَرْضِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ. (صحيح)

हज़रत अबू सईद रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया, जब कोई आदमी मस्जिद में आए, तो अपने जूते पलटकर देख ले अगर जूतों में नापाकी लगी हो तो उन्हें ज़मीन पर रगड़ कर साफ़ करे फिर उन्हीं जूतों में नमाज़ पढ़ ले। इसे अहमद और अबू दाऊद ने रिवायत किया है।[2]

عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ قَالَتْ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ فَقُلْتُ إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ طَرِيْقًا قَذِرَةً، قَالَ: فَبَعْدَهَا طَرِيْقٌ أَنْظَفُ مِنْهَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَهٰذِهِ بِهٰذِهِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ. (صحيح)

1. सहीह सुनन तिर्मिज़ी, लिल अलबानी, दूसरा भाग, हदीस 1184
2. मंतक़ी अख़्बार, पहला भाग, हदीस 44

Www.IslamicBooks.Website

बनू अब्दुल अ़शहल की एक औरत ने नबी अकरम सल्ल० से पूछा, हमारे (घर) और मस्जिद के बीच कुछ गन्दा रास्ता है (अर्थात अगर जूतों पर नापाकी लग जाए तो क्या करना चाहिए)। आप सल्ल० ने फ़रमाया, क्या उसके बाद साफ़ रास्ता भी है? औरत ने कहा, हां। आप सल्ल० ने फ़रमाया, साफ़ रास्ता गन्दे रास्ते का प्रभाव ख़त्म कर देता है। इसे अबू दाऊद और इब्ने माजा ने रिवायत किया है।[1]

मसला 38. बर्तन धोते समय या धोने के बाद कलिमा शहादत पढ़ना सुन्नत से साबित नहीं।

मसला 39. कुत्ता बर्तन में मुंह डाल दे तो बर्तन को सात बार धोना चाहिए। पहली बार मिट्टी से धोने का हुक्म है।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «طُهُوْرُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُوْلَاهُنَّ بِالتُّرَابِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया, जब कुत्ता बर्तन में मुंह डाल दे तो उसको पाक करने का तरीक़ा यह है कि बर्तन सात बार धोया जाए। पहली बार मिट्टी से धोना चाहिए। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[2]

मसला 40. जुंबी को पाकी हासिल करने के लिए पानी से ग़ुस्ल करना चाहिए। पानी न होने की सूरत में मिट्टी से तयम्मुम करके पाकी हासिल की जा सकती है।

स्पष्टीकरण : हदीस मसला 109 के अन्तर्गत देखें।

मसला 41. कपड़े पर हैज़ (मासिक धर्म) का ख़ून लग जाए तो उसे पानी से धोकर पाक करना चाहिए।

स्पष्टीकरण : हदीस मसला 78 के अन्तर्गत देखें।

मसला 42. मुर्दा हलाल जानवर की खाल दबाग़त से पाक हो जाती है।

عَنْ مَيْمُوْنَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَجُرُّوْنَ

1. सहीह सुनन इब्ने माजा, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 431
2. किताबुत्तहारत।

Www.IslamicBooks.Website

شاةَ لهُمْ مِثْلَ الْحِمَارِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا، قَالُوْا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ. (حسن)

हज़रत मैमूना रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने देखा, क़ुरैश के कुछ लोग मरी हुई बकरी को मरे हुए गधे की तरह खींच कर ले जा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया, अगर तुम इस मरी हुई बकरी का चमड़ा उतार लेते तो अच्छा होता। लोगों ने कहा, यह मुर्दार है। रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया, चमड़े को पानी और कीकर की छाल पाक कर देती हैं। इसे अहमद और अबू दाऊद ने रिवायत किया है।[1]

स्पष्टीकरण : पानी और कीकर के पेड़ से खाल को रंगने के अमल को दबाग़त कहते हैं।

मसला 43. पेशाब की नापाकी पानी से दूर हो जाती है।

मसला 44. ज़मीन ख़ुश्क होकर स्वयं पाक हो जाती है।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «دَعُوْهُ وَهَرِيْقُوْا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ أَوْ ذَنُوباً مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० फ़रमाते हैं कि मस्जिदे नबवी में एक बद्दू ने पेशाब कर दिया लोग उसे मारने को दौड़े। रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया, "इसे कुछ न कहो और इसके पेशाब पर पानी का डोल बहा दो क्योंकि तुम मुश्किल पैदा करने के लिए नहीं आसानी पैदा करने के लिए भेजे गए हो।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[2]

मसला 44 अ. यदि पीने वाली चीज़ में मक्खी गिर जाए तो उसे डुबो कर निकाल देने से मक्खी की नापाकी दूर हो जाती है।

---

1. मुसनद अहमद, 6 : 334
2. किताबुल वुज़ू।

Www.IslamicBooks.Website

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ، ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً، وَفِي الآخَرِ دَاءً» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ. (صحيح)

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया, जब किसी के पेय में मक्खी गिर जाए तो उसे पूरी तरह डुबो कर फेंक देना चाहिए। (और पेय पी लेना चाहिए) मक्खी के एक पर में शिफ़ा है और दूसरे में बीमारी है। इसे अहमद, बुख़ारी, अबू दाऊद और इब्ने माजा ने रिवायत किया है।[1]

1. सहीह बुख़ारी, किताबुल तिब्ब।

Www.IslamicBooks.Website

أَلْجَنَابَـــــــةُ

जनाबत के मसाइल[1]

मसला 45. मर्द और औरत की शर्मगाह मिल जाने पर ग़ुस्ल अनिवार्य हो जाता है। चाहे वीर्य निकले या न निकले।

स्पष्टीकरण : हदीस मसला 103 के अन्तर्गत देखें।

मसला 46. औरत या मर्द को स्वप्नदोष हो तो ग़ुस्ल अनिवार्य हो जाता है।

स्पष्टीकरण : हदीस मसला 104 के अन्तर्गत देखें।

मसला 47. मज़ी आने से ग़ुस्ल अनिवार्य नहीं होता बल्कि शर्मगाह धोकर वुज़ू कर लेना ही काफ़ी है।

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مذَّاءً فَكُنْتُ أَسْتَحِي أَنْ أَسْئَلَ النَّبِيَّ ﷺ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

हज़रत अली रज़ि० कहते हैं कि मुझे मज़ी की शिकायत थी। मैं नबी अकरम सल्ल० से मसला मालूम करने में शर्म महसूस करता था क्योंकि आपकी बेटी मेरे निकाह में थीं। अतएव मैंने हज़रत मिक़दाद बिन असवद रज़ि० से विनती की कि वह रसूलुल्लाह सल्ल० से मसला मालूम करें। अतएव हज़रत मिक़दाद रज़ि० ने आपसे मसला मालूम किया तो रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया कि अली पेशाब की जगह धोकर वुज़ू कर लिया करें। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[2]

मसला 48. पत्नी से संभोग करने से पहले यह दुआ मांगनी चाहिए।

---

1. स्वप्नदोष या जिमाअ (संभोग) की वजह से पैदा होने वाली नापाकी को जनाबत कहते हैं।

2. किताबुल हैज़, अध्याय मज़ी।

Www.IslamicBooks.Website

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذٰلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया, जब कोई आदमी अपनी पत्नी से संभोग करने का इरादा करे तो उसे यह दुआ मांगनी चाहिए :

"हम अल्लाह के नाम से मदद चाहते हैं। या अल्लाह! हमें शैतान से महफ़ूज़ रख और हमारी उस औलाद को भी शैतान से महफ़ूज़ रख जो तू हमें प्रदान फ़रमाए।"

यह दुआ पढ़ने के बाद मां बाप को अल्लाह तआला जो औलाद देगा वह शैतान के शर से सदैव सुरक्षित रहेगी। इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

मसला 49. दोबारा संभोग करने से पहले वुज़ू करना मुस्तहब है।

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُوْدَ فَلْيَتَوَضَّأْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया, जब कोई आदमी अपनी पत्नी से संभोग करे फिर दोबारा करना चाहे तो पहले वुज़ू करे। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[2]

मसला 50. ग़ुस्ल जनाबत में पहले दोनों हाथ धोने चाहिएं फिर बर्तन में हाथ डालने चाहिएं।

स्पष्टीकरण : हदीस मसला 106 के अन्तर्गत देखें।

मसला 51. जुंबी जिस पानी में हाथ डाल दे वह पानी नापाक नहीं होता।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي جُفْنَةٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ لِيَتَوَضَّأَ مِنْهَا أَوْ يَغْتَسِلَ فَقَالَتْ لَهُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا،

1. सहीह मुस्लिम किताबुन्निकाह।
2. किताबुल हैज़।

Www.IslamicBooks.Website

فَقَالَ: «إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجَنِّبُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ. (صحيح)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० फ़रमाते हैं कि पाक पत्नियों में से किसी ने एक टब के पानी से ग़ुस्ल जनाबत किया। नबी अकरम सल्ल० तशरीफ़ लाए। वुज़ू या ग़ुस्ल करने लगे तो बोलीं, ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल०! मैं हालते जनाबत में थी (और मैंने इस टब के पानी से ग़ुस्ल किया था)। आपने फ़रमाया, "पानी जुंबी नहीं होता।" इसे अहमद, अबू दाऊद, नसाई और तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 52. हालते जनाबत में किसी से हाथ मिलाना, सलाम दुआ करना या बातचीत करना जाइज़ है।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَهُ فِيْ بَعْضِ طَرِيْقِ الْمَدِيْنَةِ وَهُوَ جُنُبٌ فَانْخَنَسْتُ مِنْهُ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: كُنْتُ جُنُبًا فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ وَأَنَا عَلَىٰ غَيْرِ طَهَارَةٍ، قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि मदीना की किसी गली में उनकी नबी अकरम सल्ल० से मुलाक़ात हुई। उस समय अबू हुरैरह रज़ि० जुंबी थे। अतएव वह वहां से खिसक गए। जाकर ग़ुस्ल किया और फिर सेवा में हाज़िर हुए। रसूलुल्लाह सल्ल० ने पूछा, अबू हुरैरह तुम कहां चले गए थे? हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० ने कहा, मैं हालत जनाबत में था, अतः मैंने आपके पास इस हालत में बैठना अच्छा न समझा। आपने फ़रमाया : "सुब्हानल्लाह! मोमिन किसी भी हालत में नापाक नहीं होता।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[2]

मसला 53. हालते जनाबत में खाने पीने के लिए हाथ धोने काफ़ी हैं अलबत्ता वुज़ू करना श्रेष्ठ है।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ. (صحيح)

1. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 61
2. किताबुल ग़ुस्ल।

Www.IslamicBooks.Website

हज़रत आइशा रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० हालते जनाबत में कोई चीज़ खाना चाहते, तो पहले अपने हाथ धो लेते। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।[1]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ جُنُباً فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلَاةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

हज़रत आइशा रज़ि० फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० हालते जनाबत में खाना या सोना चाहते तो पहले नमाज़ की तरह वुज़ू कर लेते। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[2]

मसला 54. जुंबी मस्जिद से गुज़र सकता है लेकिन ठहर नहीं सकता।

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ أَحَدُنَا يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ جُنُباً مُجْتَازاً. رَوَاهُ سَعِيدُ بنُ مَنصُورٍ.

हज़रत जाबिर रज़ि० फ़रमाते हैं कि हम हालते जनाबत में मस्जिद से गुज़र जाया करते थे। इसे सईद बिन मंसूर ने रिवायत किया है।[3]

मसला 55. हालते जनाबत में ज़बानी अल्लाह का गुणगान करना जाइज़ है।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

हज़रत आइशा रज़ि० फ़रमाती हैं कि नबी अकरम सल्ल० हर हालत में अल्लाह का गुणगान किया करते थे। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[4]

मसला 56. जुंबी को क़ुरआन पाक पढ़ना या पढ़ाना मना है।

मसला 57. पाक आदमी वुज़ू के बिना क़ुरआन मजीद पढ़ सकता है।

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُباً. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. (حسن)

1. सहीह सुनन इब्ने माजा, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 483
2. किताबुल हैज़।
3. मंतक़ी अख़्बार, पहला भाग, हदीस 391
4. किताबुल हैज़, अध्याय ज़िकरुल्लाहि तआला फ़ी हाल जनाबत।

Www.IslamicBooks.Website

हज़रत अली रज़ि० फ़रमाते हैं कि नबी अकरम सल्ल० हालते जनाबत के अलावा हर हाल में हमें क़ुरआन मजीद पढ़ाया करते थे। इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 58. जुंबी सोने से पहले ग़ुस्ल न कर सके तो उसे वुज़ू कर लेना चाहिए।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَن يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ لِلصَّلاةِ. رَوَاهُ البخاري.

हज़रत आइशा रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० जब हालते जनाबत में सोने का इरादा फ़रमाते तो अपनी शर्मगाह धोकर नमाज़ की तरह वुज़ू फ़रमा लेते। इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[2]

मसला 59. जुंबी के लिए वुज़ू करके सोना श्रेष्ठ है लेकिन न करने की इजाज़त है।

عَنْ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّ عُمَرَ استَفْتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ لِيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَنَمْ حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० से रिवायत है कि हज़रत उमर रज़ि० ने नबी अकरम सल्ल० से मसला पूछा, क्या जुंबी (ग़ुस्ल किए बिना) सो सकता है? आप सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया, हां! वुज़ू कर ले और सो जाए फिर जब चाहे (उठकर) ग़ुस्ल कर ले। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[3]

عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَجْنِبُ ثُمَّ يَنَامُ وَلاَ يَمَسُّ مَاءً حَتَّى يَقُومَ بَعدَ ذَلِكَ فَيَغْتَسِلَ. رَوَاهُ ابن ماجة. (صحيح)

हज़रत आइशा रज़ि० फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० हालते जनाबत में पानी को हाथ लगाए बिना सो जाते। फिर उठकर ग़ुस्ल फ़रमाते। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।[4]

---

1. मंतक़ी अख़्बार, सहीह पहला भाग, हदीस 385-386
2. किताबुल ग़ुस्ल, अध्याय जुनुब।
3. किताबुल हैज़, अध्याय जवाज़ नोमुल जुनुब।
4. सहीह सुनन इब्ने माजा, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 421

Www.IslamicBooks.Website

मसला 60. ग़ुस्ल जनाबत में पहले दोनों हाथ धोने चाहिएं फिर पाकी हासिल करके वुज़ू करना चाहिए।

स्पष्टीकरण : हदीस मसला 106 के अन्तर्गत देखें।

मसला 61. जनाबत मसह को अवधि ख़त्म कर देती है।

स्पष्टीकरण : हदीस मसला 142 के अन्तर्गत देखें।

मसला 62. ग़ुस्ल जनाबत के लिए पाकी उपलब्ध न हो तो ग़ुस्ल की नीयत से किया गया तयम्मुम ही ग़ुस्ल जनाबत का काम देता है।

स्पष्टीकरण : हदीस मसला 109 के अन्तर्गत देखें।

Www.IslamicBooks.Website

الْحَيْـــضُ والنِّفَـاسُ

हैज़ (मासिक धर्म) और निफ़ास के मसाइल[1]

मसला 63. मासिक धर्म के दिनों की संख्या निर्धारित नहीं माह किसी माह कम किसी माह ज़्यादा दिन हो सकते हैं।

मसला 64. मासिक धर्म की शुरुआत हर माह एक ही तारीख़ पर होना ज़रूरी नहीं किसी माह देर से और किसी माह जल्दी शुरुआत हो सकती है।

मसला 65. मासिक धर्म की अवधि हर औरत के लिए अलग अलग हो सकती है।

मसला 66. मासिक धर्म शुरू होने और ख़त्म होने की उम्र जलवायु और औरत के हालात को देखते हुए हर देश में भिन्न भिन्न हो सकती है।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِيْ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (صحيح)

हज़रत आइशा रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया, जब मासिक धर्म आए तो नमाज़ छोड़ दो और जब ख़त्म हो जाए तो ग़ुस्ल कर लो (और नमाज़ पढ़ो)। इसे नसाई ने रिवायत किया है।[2]

स्पष्टीकरण : हदीस शरीफ़ में "जब मासिक धर्म आए और जब मासिक धर्म ख़त्म हो" के शब्द से यह बात स्पष्ट है कि न तो मासिक धर्म शुरू होने का समय निर्धारित है न ही मासिक धर्म के दिनों की अवधि निश्चित है।

1. मासिक धर्म का शाब्दिक अर्थ किसी चीज़ का बहना और जारी होना है, शरअी परिभाषा में हैज़ उस ख़ून को कहते हैं जो औरतों को हर माह निर्धारित समय में किसी कारण के बिना स्वयं आता है।

निफ़ास वह ख़ून है जो औरत के गर्भ से बच्चे की पैदाइश के समय और उसके बाद (कम व ज़्यादा चालीस दिन तक) निकलता है। याद रहे कि शरीअत में मासिक धर्म और निफ़ास के आदेश एक जैसे हैं।

2. सहीह सुनन नसाई, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 196

Www.IslamicBooks.Website

मसला 67. हालते हैज़ में औरत का शरीर और कपड़े दोनों पाक होते हैं।

मसला 68. मासिक धर्म वाली के हाथों का खाना, उसका अपने पति का सर धोना, पति के सर में कंघी करना और उसका का झूठा खाना जाइज़ है।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَىٰ مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَىٰ مَوضِعِ فِيَّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

हज़रत आइशा रज़ि० फ़रमाती हैं कि मैं हैज़ की हालत में पानी पीती और बर्तन नबी अकरम सल्ल० को दे देती। आप बर्तन से उसी जगह मुंह रखकर पानी पीते जहां से मैंने मुंह रखकर पिया होता (इसी तरह) हड्डी से गोश्त खाकर नबी अकरम सल्ल० को देती तो आप सल्ल० उसी जगह से खाते थे जहां से मैंने खाया होता। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَغْسِلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَنَا حَائِضٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

हज़रत आइशा रज़ि० फ़रमाती हैं कि मैं मासिक धर्म की हालत में रसूलुल्लाह सल्ल० का सर धोया करती थी। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[2]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَّكِيءُ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

हज़रत आइशा रज़ि० फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० मेरी गोद में तकिया लगाकर क़ुरआन पाक की तिलावत फ़रमाते, यद्यपि मैं मासिक धर्म की हालत में होती। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[3]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ وَأَنَا

1. किताबुल हैज़।
2. किताबुल हैज़।
3. किताबुल हैज़।

Www.IslamicBooks.Website

فِي حُجْرَتِي فَأُرَجِّلُ رَأْسَهُ وَأَنَا حَائِضٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

हज़रत आइशा रज़ि० फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० (मस्जिद में बैठे बैठे) अपना सर मेरे नज़दीक करते, जबकि मैं अपने हुजरे में होती और आपके सर में मासिक धर्म की हालत में कंघी कर दिया करती। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

मसला 69. मासिक धर्म की हालत में औरत का चुम्बन लेना जाइज़ है।

عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الإِزَارِ وَهُنَّ حُيَّضٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

हज़रत मैमूना रज़ि० फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० अपनी पाक पत्नियों से चूमना चाटना फ़रमा लिया करते यद्यपि वे मासिक धर्म की हालत में होतीं। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[2]

मसला 70. मासिक धर्म की हालत में औरत से नफ़रत करना या खाने पीने का अलग आयोजन करना नाजाइज़ है।

मसला 71. हाइज़ा (मासिक धर्म वाली) से संभोग करना मना है।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

हज़रत अनस रज़ि० से रिवायत है कि यहूदियों के यहां जब कोई औरत हाइज़ा (मासिक धर्म से) होती तो यहूदी उसके साथ न खाना खाते, न घर में रहते। सहाबा किराम रज़ि० ने रसूलुल्लाह सल्ल से मसला पूछा, तो अल्लाह तआला ने यह आयत अवतरित फ़रमाई कि, "लोग आप सल्ल० से मासिक धर्म के बारे में मालूम करते हैं। उनसे कह दीजिए वह एक बीमारी की हालत है। अतः उसमें औरतों से अलग रहें।" (2 : 222) (यह आयत

1. किताबुल हैज़, अध्याय जवाज़ ग़ुस्ल।
2. किताबुल हैज़।

Www.IslamicBooks.Website

अवतरित होने के बाद) रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : मासिक धर्म की हालत में संभोग के अलावा मामूल के सारे सम्बन्ध क़ायम रखो। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

मसला 72. हाइज़ा (मासिक धर्म वाली) तवाफ़ के अलावा बाक़ी सारे मनासिक हज अदा कर सकती है।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَا نَذْكُرُ إِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا جِئْنَا سَرِفَ طَمِثْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ: «مَا يُبْكِيكِ؟ قُلْتُ: لَوَدِدْتُ واللهِ إِنِّي لَمْ أَحُجَّ الْعَامَ، قَالَ: لَعَلَّكِ نُفِسْتِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّ ذَلِكِ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

हज़रत आइशा रज़ि० फ़रमाती हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्ल० की संगत में हज के इरादे से निकले। सरिफ़ के स्थान पर मुझे मासिक धर्म शुरू हो गया। रसूलुल्लाह सल्ल० मेरे पास तशरीफ़ लाए। मैं उस समय रो रही थी। आपने पूछा, "क्या बात है?" मैंने अर्ज़ किया, अगर मैं इस साल हज का इरादा न करती तो अच्छा था। हुज़ूर अकरम सल्ल० ने फ़रमाया, शायद तुम्हें मासिक धर्म आया है। मैंने अर्ज़ किया, हां। आप सल्ल० ने फ़रमाया, यह एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह तआला ने आदम की बेटियों के लिए लिख दी है। अतः जब तक पाक न हो जाओ, बैतुल्लाह शरीफ़ का तवाफ़ न करो। बाक़ी सारे मनासिक हज अदा करती रहो। इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[2]

मसला 73. हाइज़ा (मासिक धर्म वाली) नमाज़ पढ़ सकती है, न रोज़ा रख सकती है।

मसला 74. मासिक धर्म शुरू होते ही रोज़ा ख़त्म हो जाता है, चाहे सूरज अस्त होने से एक क्षण पहले ही क्यों न आए।

मसला 75. मासिक धर्म की वजह से रोज़ा ख़त्म होने के बाद खाना पीना जाइज़ है। अलबत्ता उस रोज़े की क़ज़ा ज़रूरी है।

---

1. किताबुल हैज़, अध्याय जवाज़ ग़ुस्ल।
2. किताबुल हैज़।

Www.IslamicBooks.Website

मसला 76. हाइज़ा (मासिक धर्म वाली) के लिए रोज़ा की क़ज़ा है नमाज़ की नहीं।

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ، فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ि० कहते हैं कि नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया, क्या ऐसा नहीं कि जब औरत को मासिक धर्म आए तो न नमाज़ पढ़ सकती है न रोज़ा रख सकती है। औरतों के दीन में कमी की यही वजह है। इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 77. यदि कोई औरत रमज़ान में फ़ज्र की अज़ान से पहले मासिक धर्म से पाक हो जाए और ग़ुस्ल का समय न हो तो पहले रोज़ा रखकर बाद में ग़ुस्ल कर सकती है।

عَنْ أَبِي بَكْرِ بن عَبْدِالرَّحْمٰنِ كُنْتُ أَنَا وَأَبِي فَذَهَبْتُ مَعَه حَتَّى دَخَلْنَا عَلَىٰ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ أَشْهَدُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ إِنْ كان لَيُصْبِحُ جُنُباً مِنْ جِمَاعٍ غَيرِ إِحْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُومُهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

हज़रत अबूबक्र बिन अब्दुर्रहमान रज़ि० से रिवायत है कि मैं अपने बाप के साथ हज़रत आइशा रज़ि० की सेवा में हाज़िर हुआ (हमारे सवाल के जवाब में) हज़रत आइशा रज़ि० ने फ़रमाया, मैं गवाही देती हूं कि रसूले अकरम सल्ल० स्वप्नदोष की वजह से नहीं बल्कि संभोग की वजह से हालते जनाबत में सुबह करते। फिर (ग़ुस्ल किए बिना) रोज़ा रखते। उसके बाद हम दोनों हज़रत उम्मे सलमा रज़ि० की सेवा में हाज़िर हुए तो उन्होंने भी ऐसा ही फ़रमाया। इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[2]

मसला 78. कपड़े पर मासिक धर्म के ख़ून का दाग़ लग जाए तो इतनी जगह धोकर इसी कपड़े में नमाज़ अदा की जा सकती है।

---

1. किताबुल हैज़।
2. किताबुस्सोम।

Www.IslamicBooks.Website

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ ثُمَّ تَقْتَرِصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا فَتَغْسِلُهُ وَتَنْضَحُ عَلَى سَائِرِهِ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

हज़रत आइशा रज़ि० फ़रमाती हैं कि जब हममें से किसी के कपड़े मासिक धर्म के ख़ून से भीग जाते, तो ग़ुस्ल के बाद हम कपड़े से खुरच डालतीं फिर वह जगह पानी से धो डालतीं और सारे कपड़े पर पानी छिड़क कर उसमें नमाज़ पढ़ लेतीं। इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[1]

मसला : 79. हाइज़ा (मासिक धर्म वाली) के लिए मस्जिद में ठहरना जाइज़ नहीं अलबत्ता गुज़र सकती है।

मसला 80. मासिक धर्म की हालत में नमाज़ के मुसल्ले को हाथ लगाना, उस पर बैठना, गुणगान करना और तस्बीह व तहलील और दुआ आदि करना जाइज़ है।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ، قَالَتْ: فَقُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ: إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

हज़रत आइशा रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने मुझे मस्जिद में मुसल्ला लाने का हुक्म दिया। मैंने अर्ज़ किया, मैं तो मासिक धर्म की हालत में हूं। आप सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया, मासिक धर्म तेरे हाथ में तो नहीं है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[2]

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ وَتَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

हज़रत उम्मे अतिया रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने हुक्म दिया कि दोनों ईदों के दिन हम मासिक धर्म वाली और पर्दा वाली (अर्थात तमाम) औरतों को ईदगाह लाएं ताकि वे मुसलमानों के साथ नमाज़

1. किताबुल हैज़, अध्याय ग़ुस्ल।
2. किताबुल हैज़, अध्याय जवाज़ ग़ुस्ल।

Www.IslamicBooks.Website

और दुआ में शिरकत करें। अलबत्ता मासिक धर्म वाली औरतें नमाज़ न पढ़ें। इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[1]

स्पष्टीकरण : हाइज़ा (मासिक धर्म वाली) तवाफ़ के अलावा बाक़ी सारे मनासिक हज अदा कर सकती है। देखें मसला 72

मसला 81. मासिक धर्म का ख़ून न लगे तो मासिक धर्म वाले के कपड़े पाक रहते हैं जिन्हें धोए बिना नमाज़ पढ़ी जा सकती है।

मसला 82. मासिक धर्म वाली का दुपट्टा या चादर ओढ़कर दूसरी औरत नमाज़ पढ़ सकती है।

عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِي مِرْطٍ بَعْضُهُ عَلَيَّ وَبَعْضُهُ عَلَيْهِ وَأَنَا حَائِضٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

हज़रत मैमूना रज़ि० फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० जिस चादर में नमाज़ पढ़ते, उस चादर का एक हिस्सा मुझ पर और एक हिस्सा रसूलुल्लाह सल्ल० पर होता और मैं मासिक धर्म की हालत में होती। इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।[2]

मसला 83. मासिक धर्म से पाकी हासिल करने के बाद यदि ख़ाकी या ज़र्द रंग का पानी निकले तो दोबारा ग़ुस्ल करने की ज़रूरत नहीं।

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئاً. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. (صحيح)

हज़रत उम्मे अतिया रज़ि० फ़रमाती हैं, मासिक धर्म से पाकी हासिल करने के बाद ख़ाकी या ज़र्द रंग के पानी को हम कोई महत्व नहीं देती थीं। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।[3]

मसला 84. मासिक धर्म से पवित्रता हासिल करने के लिए व्यर्थ की जल्दी और व्यर्थ के विलम्ब काम नहीं लेना चाहिए।

---

1. लुउलुउ वल मरजान किताब सलातुल ईदैन।
2. मिश्कातुल मसाबीह, किताबुत्तहारत, अध्याय हैज़।
3. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 300

Www.IslamicBooks.Website

मसला 85. मासिक धर्म के ग़ुस्ल में देरी होने पर क़ज़ा नमाज़ें अदा करना चाहिए।

كُنَّ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِالدَّرَجَةِ فِيْهَا الكُرْسُفُ فِيهَا الصُّفْرَةُ فَتَقُوْلُ لاَ تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرِيْنَ القَصَّةَ البَيْضَاءَ تُرِيْدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الحَيْضَةِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

औरतें रसूलुल्लाह सल्ल० की पाक पत्नी सय्यदा आइशा रज़ि० के पास डिबिया में रूई रखकर भेजतीं जिसमें अभी कुछ ज़र्दी बाक़ी होती तो सय्यदा आइशा रज़ि० फ़रमातीं, जब तक साफ़ और सफ़ेद पानी न देख लो उस समय तक (पाकी हासिल करने के लिए) जल्दी से काम न लिया करो। इससे सय्यदा आइशा रज़ि० का तात्पर्य मासिक धर्म से पाकी हासिल करना होता। इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[1]

قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما: تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَلَو سَاعَةً مِن النَّهَارِ وَيَأْتِيْهَا زَوجُهَا إِذَا صَلَّتِ الصَّلاَةَ أَعْظَمُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० फ़रमाते हैं कि मुस्तहाज़ा (आदत के अनुसार मासिक धर्म के दिनों के बाद) ग़ुस्ल करके नमाज़ पढ़े चाहे उनकी एक घड़ी बाक़ी हो। जब औरत नमाज़ अदा करके चुके तो फिर पति अपनी पत्नी से संभोग कर सकता है क्योंकि नमाज़ श्रेष्ठ है। इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[2]

मसला 86. मासिक धर्म वाली पाकी की हालत में जिस नमाज़ के प्रारंभिक या अन्तिम समय में से एक पूरी रकअत अदा करने का समय पा ले उस समय की क़ज़ा नमाज़ उसे अदा करनी चाहिए।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ وَنَحْنُ سُجُوْدٌ فَاسْجُدُوْا وَلَا تَعُدُّوْهَا شَيْئاً وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» رَوَاهُ أبو دَاوُدَ. (حسن)

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया,

1. किताबुल हैज़।
2. किताबुल हैज़।

Www.IslamicBooks.Website

जब तुम नमाज़ के लिए आओ और हम सज्दे में हों तो तुम भी सज्दे में शामिल हो जाओ और उसको रकअत शुमार न करो अलबत्ता जिसने एक रकअत जमाअत के साथ पा ली, उसने पूरी जमाअत का सवाब पा लिया। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।[1]

स्पष्टीकरण : नमाज़ का प्रारंभिक समय पाने से तात्पर्य यह है कि यदि एक औरत सूरज अस्त होने के इतनी देर बाद मासिक धर्म वाली होती है कि नमाज़ मग़रिब की एक रकअत अदा कर सके, उसे मासिक धर्म ख़त्म होने के बाद उस नमाज़ मग़रिब की क़ज़ा अदा करनी चाहिए। अन्तिम समय पाने से तात्पर्य यह है कि यदि एक औरत सूरज उदय होने से इतनी देर पहले पाक होती है कि वह नमाज़ फ़ज्र की एक रकअत पढ़ सके तो उसे वह नमाज़ फ़ज्र अदा करनी चाहिए।

मसला 87. कपड़े पर मासिक धर्म का ख़ून लग जाए तो उसे अच्छी तरह साफ़ करके उसी में नमाज़ पढ़ी जा सकती है।

मसला 88. कपड़े से मासिक धर्म का ख़ून साफ़ करने का तरीक़ा यह है :

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَتْ: جَاءَتْ إِمْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ؟ فَقَالَ: «تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

हज़रत असमा बिन्त अबी बक्र रज़ि० कहती हैं कि एक औरत नबी अकरम सल्ल० के पास आई और अर्ज़ किया, यदि किसी के कपड़े पर मासिक धर्म का ख़ून लग जाए तो वह उसे कैसे साफ़ करे? रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : पहले उसे अच्छी तरह खुरचे फिर उसे पानी से मलकर धोए। उसके बाद उस पर पानी छिड़के और फिर उसमें नमाज़ पढ़ ले। इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।[2]

1. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 792
2. किताबुल हैज़।

Www.IslamicBooks.Website

मसला 89. ग़ुस्ल से पहले मासिक धर्म वाली से संभोग करना मना है चाहे हैज़ के दिनों की अवधि कम हो या ज़्यादा।

मसला 90. मासिक धर्म के दौरान संभोग करने का कफ़्फ़ारा एक दीनार (4 ग्राम) सोना है जबकि मासिक धर्म ख़त्म होने, लेकिन ग़ुस्ल से पहले संभोग करने का परायश्चित आधा दीनार (2 ग्राम) सोना सदक़ा करना है।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَتَى حَائِضاً، أَو امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِناً فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (صحيح)

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया, जो व्यक्ति मासिक धर्म वाली से संभोग करे या औरत से पीछे के रास्ते से संभोग करे या ज्योतिषी के पास (भाग्य का हाल मालूम करने के लिए) आए, तो उसने मानो मुहम्मद सल्ल० पर अवतरित हुई शिक्षाओं का इंकार किया। इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।[1]

عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِي يَأْتِي امرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أو نِصفِ دِينَارٍ. رَوَاهُ أبو دَاوُدَ وابنُ مَاجَه. (صحيح)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने मासिक धर्म के ग़ुस्ल से पहले अपनी पत्नी से संभोग करने वाले आदमी के बारे में इरशाद फ़रमाया कि वह एक दीनार (4 ग्राम सोना) या आधा दीनार (2 ग्राम) सदक़ा करे। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।[2]

عَنْ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ دَماً أَحمَرَ فَدِينَارٌ وإِذَا كَانَ دَماً أَصْفَرَ فَنِصفُ دِينَارٍ». رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ. (صحيح)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया : जब मासिक धर्म वाली के ख़ून की रंगत सुर्ख़ हो और उससे संभोग किया जाए तो एक दीनार सदक़ा है यदि ख़ून की रंगत ज़र्द

1. सहीह मुस्लिम, किताबुत्तहारत।
2. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 237

Www.IslamicBooks.Website

हो तो (संभोग करने पर) आधा दीनार सदक़ा है। इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 91. मासिक धर्म वाली को लगातार क़ुरआन पाक की तिलावत करना मना है अलबत्ता एक एक आयत तोड़कर पढ़ सकती है।

قَالَ إِبْراهِيمُ رَحِمَهُ اللهُ: لاَ بَأْسَ أَنْ تَقْرَأَ الآيَةَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

हज़रत इबराहीम (नख़ई) कहते हैं कि मासिक धर्म वाली क़ुरआन मजीद की एक आयत पढ़ ले तो कोई हरज नहीं। इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[2]

मसला 92. मासिक धर्म वाली क़ुरआन मजीद को हाथ न लगाए यदि पकड़ना ज़रूरी हो तो कपड़े से पकड़ना चाहिए।

كَانَ أَبُو وَائِلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُرْسِلُ خَادِمَهُ وَهِيَ حَائِضٌ إِلَى أَبِي رَزِيْنٍ فَتَأْتِيهِ بِالمُصْحَفِ فَتُمْسِكُهُ بِعَلاَقَتِهِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

हज़रत अबू वाइल रज़ि० अपनी सेविका को मासिक धर्म की हालत में अबू रज़ीन रज़ि० के पास क़ुरआन मजीद लाने के लिए भेजते और वह क़ुरआन मजीद का कपड़ा पकड़ कर ला देती थीं। इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[3]

मसला 93. पति की अनुमति से मासिक धर्म लाने या मासिक धर्म रोकने की दवाएं इस्तेमाल करना जाइज़ है।

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لا تَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया कोई औरत अपने पति की मौजूदगी में उसकी अनुमति के बिना नफ़्ली रोज़ा न रखे। इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[4]

---

1. सहीह सुनन तिर्मिज़ी, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 118
2. किताबुल हैज़।
3. किताबुल हैज़।
4. किताबुन्निकाह।

Www.IslamicBooks.Website

मसला 94. मासिक धर्म के दौरान पत्नी को तलाक़ देना मना है।

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّه طَلَّقَ إِمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شاء أَمْسَكَ بَعْدُ وإِنْ شَاءَ طَلَّقَها قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِيْ أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० से रिवायत है कि उन्होंने नबी अकरम सल्ल० के ज़माने में अपनी पत्नी को मासिक धर्म की हालत में तलाक़ दी। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि० ने इस बारे में रसूलुल्लाह सल्ल० से मसला मालूम किया तो आप सल्ल० ने फ़रमाया, अब्दुल्लाह से कहो कि अपनी पत्नी से रुजूअ करे और मासिक धर्म से पाक होने तक उसे अपने पास रखे, फिर जब मासिक धर्म आए और उससे पाक हो जाए, तब चाहे तो संभोग करने से पहले तलाक़ दे, चाहे तो अपने पास रखे।[1] यही मतलब है अल्लाह तआला के इस हुक्म का कि औरतों को उनकी इद्दत पर तलाक़ दो।[2] इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

1. किताबुत्तलाक़, अध्याय क़ौलुल्लाहि तआला।
2. तलाक़ के मुफ़स्सल मसाइल किताबुन्निकाह वत्तलाक़ में देखें।

Www.IslamicBooks.Website

أَلإِسْتِحَاضَةُ

इस्तिहाज़ा के मसाइल[1]

मसला 95. जिस औरत को इस्तिहाज़ा से पहले मासिक धर्म के दिन मालूम हों (अर्थात हर माह किस तारीख़ को शुरू होते हैं और कितने दिन रहते हैं) उसे पिछली आदत के अनुसार मासिक धर्म के दिन गिनती करके बाक़ी दिनों को इस्तिहाज़ा के दिन गिनने चाहिएं और इस अवधि में इस्तिहाज़ा के आदेश पर अमल करना चाहिए।

मसला 96. मासिक धर्म के दिन गुज़रने के बाद मुस्तहाज़ा को ग़ुस्ल करके आदत के अनुसार नमाज़ रोज़ा अदा करना चाहिए।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِيْ حُبَيْشٍ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَارَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ لاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّمَا ذٰلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاَةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِيْ عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

हज़रत आइशा रज़ि० कहती हैं कि हज़रत फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबैश रज़ि० ने रसूलुल्लाह सल्ल० की सेवा में अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल०! मैं महीना भर पाक नहीं होती। क्या नमाज़ छोड़ दूं? रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया, यह एक रग का ख़ून है। मासिक धर्म का नहीं। अतः (आदत के अनुसार) जब मासिक धर्म शुरू हो तो नमाज़ छोड़ दो और जब आदत के बराबर दिन गुज़र जाएं तो ख़ून धो लो और नमाज़ पढ़ो। इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[2]

---

1. इस्तिहाज़ा उस ख़ून को कहते हैं जो कुछ औरतों को पूरा महीना बिना रुके निरंतर आता रहे या महीने में केवल दो चार दिन रुके, इस्तिहाज़ा एक रोग है। इस रोग की बीमार औरत को मुस्तहाज़ा कहते हैं। इस्तिहाज़ा के आदेश मासिक धर्म और निफ़ास के आदेश से अलग हैं।

2. किताबुल हैज़, अध्याय ऐतिकाफ़ मुस्तहाज़ा।

Www.IslamicBooks.Website

मसला 97. जिस औरत को इस्तिहाज़ा से पहले मासिक धर्म के दिन मालूम न हों (अर्थात मासिक धर्म में गड़बड़ी रही हो कभी जल्दी, कभी देर से आते रहे हों या कभी पांच दिन और कभी आठ या नौ दिन आते रहे हों) उसे मासिक धर्म और इस्तिहाज़ा के ख़ून के रंग में अन्तर देखकर मासिक धर्म और इस्तिहाज़ा के आदेश पर अमल करना चाहिए।

मसला 98. मुस्तहाज़ा को हर नमाज़ के लिए नया वुज़ू करना चाहिए।

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ، أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا كَانَ دَمُ الحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاَةِ، فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي، فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ». رَوَاهُ أَبو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. (حسن)

हज़रत फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबैश रज़ि० से रिवायत है कि वह रोगी थीं। नबी अकरम सल्ल० ने उन्हें फ़रमाया, जब मासिक धर्म का ख़ून हो तो यह सियाह रंग का होता है जो पहचाना जाता है। अतः जब यह हो तो नमाज़ न पढ़ो लेकिन अगर उसके अलावा कोई दूसरा ख़ून हो तो वुज़ू करके नमाज़ पढ़ लो क्योंकि यह (इस्तिहाज़ा का ख़ून) एक रग से निकलता है। इसे अबू दाऊद और नसाई ने रिवायत किया है।[1]

मसला 99. जिस औरत के मासिक धर्म के दिन मालूम न हों और जिसके मासिक धर्म और इस्तिहाज़ा के ख़ून में रंग का अन्तर भी न पाया जाता हो उसे पहली बार मासिक धर्म आने के दिनों को सामने रखते हुए हर महीने के उस दिन से मासिक धर्म की शुरुआत गिनकर करना चाहिए, जिस दिन पहली बार मासिक धर्म आया था। जैसे किसी औरत को पहली बार महीने के सातवें दिन मासिक धर्म आना शुरू हुआ, तो उसे मासिक धर्म और इस्तिहाज़ा में अन्तर करने के लिए सातवें दिन से मासिक धर्म के आदेश पर अमल शुरू करना चाहिए।

मसला 100. उल्लिखित मुस्तहाज़ा को अपने जैसी औरतों (अपने देश, अपने इलाक़े, अपनी उम्र, अपने जितने बच्चों वाली औरतें) की आदत को सामने रखते हुए मासिक धर्म की अवधि का निर्धारण छः या सात दिन

1. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 264

Www.IslamicBooks.Website

गिनने के बाद इस्तिहाज़ा के आदेश पर अमल करना चाहिए।

عَنْ حَمْنَة بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ: كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيْرَةً شَدِيْدَةً، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُه. فَوَجَدْتُه فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَقُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ إِنِي أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَبِيْرَةً شَدِيْدَةً فَمَا تَأْمُرُنِي فِيهَا، قَدْ مَنَعَتْنِي الصِّيَامَ وَالصَّلَاةَ ؟ قَالَ: «أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ ، فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ». قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ؟ قَالَ : «فَتَلَجَّمِي». قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ؟ قَالَ: «فَاتَّخِذِي ثَوْباً». قُلْتُ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ، إِنما أَثُجُّ ثَجًّا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «سَآمُرُكِ بِأَمْرَيْنِ: أَيَّهُمَا صَنَعْتِ أَجْزَأَ عَنْكِ، فَإِنْ قَوِيْتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ» فَقَالَ: «إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ، أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللهِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي، فَإِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَاتِّ فَصَلِّي أَرْبعاً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ، أَوْ ثَلَاثاً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا، وَصُومِي وَصَلِّي، فَإِنَّ ذٰلِكَ يُجْزِئُكِ، وكَذٰلِكَ فَافْعَلِي كَمَا تَحِيْضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ لِمِيقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. (حسن)

हज़रत हमना बिन्ते जहश रज़ि० कहती हैं, मुझे अधिकता से लगातार इस्तिहाज़ा का ख़ून आया करता था। मैं नबी अकरम सल्ल० से मसला मालूम करने के लिए हाज़िर हुई। उस समय आप मेरी बहन ज़ैनब बिन्ते जहश के घर में थे। मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल०! मुझे इस्तिहाज़ा की बीमारी है और ख़ून बड़ी अधिकता से निरंतर आता है। जिसने मुझे नमाज़ रोज़े से रोक रखा है। उसके बारे में आपका क्या हुक्म है? आप सल्ल० ने फ़रमाया, मैं तुम्हें रूई इस्तेमाल करने की हिदायत करता हूं, क्योंकि वह ख़ून चूस लेती है। हज़रत हमना ने अर्ज़ किया, ख़ून तो उससे ज़्यादा है। आपने इरशाद फ़रमाया, (रूई के ऊपर) लंगोट कस लिया करो। मैंने अर्ज़ किया, ख़ून उससे भी ज़्यादा है। आपने फ़रमाया, (रूई की जगह) कपड़ा इस्तेमाल करो। मैंने अर्ज़ किया, ख़ून तो उससे भी ज़्यादा है। बड़ी अधिकता से जारी रहता है। तब रसूलुल्लाह सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया, मैं तुम्हें दो बातों का हुक्म देता हूं। इन दोनों में से जिस पर चाहो अमल कर लो, वह तुम्हारे लिए काफ़ी होगा और यदि दोनों पर अमल करो तो तुम्हारी मर्ज़ी। इस्तिहाज़ा शैतान की ठोकरों में से एक ठोकर है। जबकि मासिक धर्म तो तुम्हें छः या सात दिन ही आता है उन दिनों का पता अल्लाह ही के पास

Www.IslamicBooks.Website

है अतः उन (छः या सात दिनों के बाद) ग़ुस्ल करो और जब महसूस करो कि उस ग़ुस्ल की वजह से पाक साफ़ हो गई हो तो तेईस या चौबीस दिन नमाज़ रोज़ा करो। यह तुम्हारे लिए काफ़ी होगा और फिर (हर माह) इसी तरह कर लिया करो जैसा कि मासिक धर्म वाली औरतें मासिक धर्म के समय करती हैं और पाक औरतें पाकी के समय करती हैं। इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 101. मुस्तहाज़ा ग़ुस्ल करने के बाद तमाम उपासनाएं नियम के अनुसार अदा कर सकती है।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِعْتَكَفَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

हज़रत आइशा रज़ि० फ़रमाती हैं कि नबी अकरम सल्ल० के साथ आपकी एक पत्नी इस्तिहाज़ा की हालत के बावजूद ऐतिकाफ़ किया करती थीं। इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[2]

मसला 102. ग़ुस्ल करने के बाद मुस्तहाज़ा से संभोग करना जाइज़ है।

عَنْ عِكْرِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تُسْتَحَاضُ وَكَانَ زَوْجُهَا يَغْشَاهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. (صحيح)

मसला हज़रत इकरमा रज़ि० फ़रमाते हैं कि उम्मे हबीबा रज़ि० इस्तिहाज़ा की रोगी थीं और उनके पति (हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ि०) उम्मे हबीबा से (ग़ुस्ल कर लेने के बाद) संभोग किया करते थे। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।[3]

---

1. सहीह सुनन तिर्मिज़ी, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 110
2. किताबुल हैज़, अध्याय ऐतिकाफ़ मुस्तहाज़ा।
3. मंतक़ी अख़्बार, पहला भाग, हदीस 496

Www.IslamicBooks.Website

أَلْغُسْـــــــلُ

ग़ुस्ल के मसाइल

मसला 103. पत्नी और पति की शर्मगाह मिल जाने पर ग़ुस्ल वाजिब हो जाता है। चाहे वीर्य निकले या न निकले।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया : जब पति पत्नी से संभोग करे, तो उस पर ग़ुस्ल अनिवार्य हो जाता है। इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

मसला 104. औरत या मर्द को स्वप्नदोष हो तो ग़ुस्ल अनिवार्य हो जाता है।

عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا سَأَلَتْ نَبِيَّ اللهِ ﷺ عَنِ المَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ المَرْأَةُ فَلْتَغْتَسِلْ، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا واسْتَحْيَيْتُ مِنْ ذَلِكَ قَالَتْ: وَهَلْ يَكُونُ هَذَا؟ فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: نَعَمْ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونَ الشَّبَهُ. إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ وَمَاءَ المَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلاَ أَوْ سَبَقَ يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

हज़रत उम्मे सुलैम रज़ि० से रिवायत है कि मैंने नबी अकरम सल्ल० से मसला मालूम किया कि यदि औरत को मर्द की तरह नींद में स्वप्नदोष हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया, औरत को ग़ुस्ल करना चाहिए। हज़रत उम्मे सलमा रज़ि० कहती हैं कि मुझे (यह बात सुनकर) शर्म महसूस हुई और मैंने रसूलुल्लाह सल्ल० से मालूम किया, क्या औरत को भी स्वप्नदोष होता है? रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया, हां, वरना बच्चा औरत के जैसा क्यों होता। आपने फ़रमाया, मर्द का नुत्फ़ा

1. लुउलुउ वल मरजान, पहला भाग, हदीस 199

Www.IslamicBooks.Website

(पानी) सफ़ेद और गाढ़ा होता है जबकि औरत का नुत्फ़ा (पानी) पतला और ज़र्द होता है। दोनों में से जो भी भारी पड़ जाए, बच्चा उसी के जैसा पैदा होता है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

मसला 105. वीर्य निकलने पर ग़ुस्ल अनिवार्य हो जाता है।

स्पष्टीकरण : हदीस मसला 154 के अन्तर्गत देखें।

मसला 106. ग़ुस्ल जनाबत में पहले दोनों हाथ धोने चाहिएं फिर पाकी हासिल करके वुज़ू करना चाहिए।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ ثُمَّ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوءِهِ لِلصَّلَاةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

हज़रत आइशा रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० जब ग़ुस्ल जनाबत करते, तो बर्तन में हाथ डालने से पहले दोनों हाथ धोते। फिर नमाज़ की तरह वुज़ू करते, (फिर ग़ुस्ल फ़रमाते)। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[2]

मसला 107. ग़ुस्ल जनाबत का मसनून तरीक़ा यह है :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ وَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ ثُمَّ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

हज़रत आइशा रज़ि० से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्ल० ग़ुस्ल जनाबत फ़रमाते, तो पहले अपने दोनों हाथों को धोते, फिर दाएं हाथ से बाएं हाथ पर पानी डालकर शर्मगाह धोते, फिर नमाज़ की तरह का वुज़ू करते। उसके बाद हाथों की उंगलियों से सर के बालों की जड़ों को पानी से तर करते। तीन लप पानी सर में डालते और फिर सारे बदन पर पानी बहाते (अन्त में एक बार) फिर दोनों पांव धोते। इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।[3]

---

1. किताबुल हैज़, अध्याय वुज़ूबुल ग़ुस्ल।
2. किताबुल हैज़, अध्याय सिफ़त ग़ुस्ल जनाबत।
3. सहीह मुस्लिम, किताबुल हैज़, अध्याय सिफ़त ग़ुस्ल जनाबत।

Www.IslamicBooks.Website

मसला 108. ग़ुस्ल जनाबत में पानी सर के बालों की जड़ां तक पहुंचना चाहिए।

عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُمُ اسْتَفْتَوُا النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَمَّا الرَّجُلُ فَلْيَنْشُرْ رَأْسَهُ فَلْيَغْسِلْهُ حَتَّى يَبْلُغَ أُصُولَ الشَّعْرِ وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلاَ عَلَيْهَا أَنْ لاَ تَنْقُضَهُ لِتَغْرِفْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلاَثَ غَرَفَاتٍ بِكَفَّيْهَا رَوَاهُ أَبُوْدَاوُد (صحيح)

हज़रत सोबान रज़ि० से रिवायत है कि सहाबा किराम ने नबी अकरम सल्ल से ग़ुस्ल जनाबत के बारे में सवाल किया तो आप सल्ल० ने फ़रमाया कि मर्द अपने सर के बाल खोले और उन्हें धोए यहां तक कि पानी बालों की जड़ों तक पहुंच जाए और औरत के लिए बालों को खोलना ज़रूरी नहीं बल्कि वह अपनी दोनों हथेलियों से तीन लप पानी अपने सर में डाल ले। (फिर ग़ुस्ल पूरा करे) इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।[1]

स्पष्टीकरण : नेल पॉलिश या कोई दूसरी ऐसी चीज़ जो शरीर तक पानी न पहुंचने दे, दूर किए बिना ग़ुस्ल पूरा नहीं होता।

मसला 109. ग़ुस्ल जनाबत के लिए पानी न हो तो ग़ुस्ल की नीयत से किया हुआ तयम्मुम ही काफ़ी है।

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً مُعْتَزِلاً لَمْ يُصَلِّ فِي الْقَوْمِ فَقَالَ: «يَافُلاَنُ ما منعك أَنْ تُصَلِّيَ فِي الْقَوْمِ؟ فَقَالَ: يارَسُوْلَ اللهِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلاَ مَاءٌ، قَالَ: عَلَيْكَ بِالصَّعِيْدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيْكَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने एक आदमी को देखा जो अलग बैठा था और लोगों के साथ नमाज़ नहीं पढ़ी थी। आपने फ़रमाया, ऐ फ़लां आदमी! तूने लोगों के साथ नमाज़ क्यों नहीं पढ़ी? उसने अर्ज़ किया, मैं जुंबी हूं और पानी भी पर्याप्त नहीं। रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया, पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो, वही (ग़ुस्ल जनाबत और वुज़ू के लिए) काफ़ी है। इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।[2]

1. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 230
2. किताबुल तयम्मुम, अध्याय 241

Www.IslamicBooks.Website

मसला 110. मासिक धर्म ख़त्म होने के बाद ग़ुस्ल करना वाजिब है।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

हज़रत आइशा रज़ि० से रिवायत है कि हज़रत फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबैस रज़ि० को इस्तिहाज़ा की शिकायत थी। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्ल० से मसला पूछा, तो आप सल्ल० ने फ़रमाया, यह एक रंग का ख़ून है, मासिक धर्म का नहीं। जब मासिक धर्म शुरू हो तो नमाज़ छोड़ दो जब ख़त्म हो जाए तो ग़ुस्ल करके नमाज़ शुरू कर दो। इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 111. इस्तिहाज़ा की रोगी औरत को आदत के अनुसार मासिक धर्म के दिन गिन करके ग़ुस्ल करना चाहिए।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِنْتَ جَحْشٍ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِالرَّحْمنِ بنِ عَوفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ شَكَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الدَّمَ فَقَالَ لَهَا: «امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي» فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

मसला 111. की अरबी किताब में ख़राब है। दूसरी किताब में सही हो तो किताब दे दें।

नबी अकरम सल्ल० की पाक पत्नी हज़रत आइशा रज़ि० कहती हैं कि अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ि० की पत्नी हज़रत उम्मे हबीबा रज़ि० रसूलुल्लाह सल्ल० की सेवा में हाज़िर हुईं और इस्तिहाज़ा की शिकायत की। रसूलुल्लाह सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया : "आदत के अनुसार मासिक धर्म के दिनों में नमाज़ न पढ़ो फिर मासिक धर्म के दिन ख़त्म होने पर ग़ुस्ल कर लो, अतः उम्मे हबीबा रज़ि० हर नमाज़ के लिए ग़ुस्ल किया करतीं। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[2]

मसला 112. मासिक धर्म के ग़ुस्ल का तरीक़ा यह है :

---

1. किताबुल हैज़।
2. किताबुल हैज़, अध्याय मुस्तहाज़ा व ग़ुस्लहा।

Www.IslamicBooks.Website

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ فَقَالَ: «تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا حَتَّى يَبْلُغَ شُئُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا، فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: وَكَيْفَ أَتَطَهَّرُ؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، تَطَهَّرِينَ بِهَا. فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ تَتَبَّعِينَ أَثَرَ الدَّمِ. وَسَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ: تَأْخُذُ مَاءً فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ أَوِ تُبْلِغُ الطُّهُورَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُئُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ. فَقَالَتْ: عَائِشَةُ: نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

हज़रत आइशा रज़ि० से रिवायत है कि हज़रत असमा रज़ि० ने नबी अकरम सल्ल० से मासिक धर्म के ग़ुस्ल के बारे में सवाल किया, तो आप सल्ल० ने फ़रमाया, पहले पानी में बेरी के पत्ते डाल कर अच्छी तरह मासिक धर्म के ख़ून से पाकी हासिल कर लो। फिर सर पर पानी डालो। और ख़ूब अच्छी तरह मलो ताकि पानी बालों की जड़ों तक पहुंच जाए। फिर सारे बदन पर पानी बहाओ, फिर ख़ुश्बू लगी हुई रूई का फाया ले कर उससे पाकी करो। हज़रत असमा रज़ि० ने अर्ज़ किया, रूई के फाये से पाकी किस तरह? रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया, सुब्हानल्लाह! पाकी करो। हज़रत आइशा रज़ि० ने धीरे से बताया कि मासिक धर्म की जगह पर लगा दो। फिर हज़रत असमा ने ग़ुस्ल जनाबत का सवाल किया, तो आप सल्ल० ने फ़रमाया, पहले पानी से अच्छी तरह शर्मगाह धोनी चाहिए। फिर सर पर अच्छी तरह पानी डालकर मलना चाहिए ताकि पानी अच्छी तरह बालों की जड़ों तक पहुंच जाए फिर पूरे बदन पर पानी डालो। हज़रत आइशा रज़ि० कहती हैं कि अंसार की औरतें भी क्या ख़ूब औरतें हैं कि दीन की बातें पूछने में शर्म महसूस नहीं करतीं। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

मसला 113. औरत के सर के बालों की जड़ों में चोटी खोले बिना पानी पहुंच सके तो चोटी खोलना ज़रूरी नहीं लेकिन अगर न पहुंच सके तो खोलना ज़रूरी है।

---

1. किताबुल हैज़, अध्याय इस्तेमाल मुग़तसिला मिनल हैज़।

Www.IslamicBooks.Website

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَت: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ: إِنِّي إِمْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الجَنَابَةِ؟ قَالَ: «لا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَن تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيكِ المَاءَ فَتَطَهَّرِينَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

हज़रत उम्मे सलमा रज़ि० कहती हैं कि मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल० मैं अपने सर पर चोटी बांधती हूं। क्या ग़ुस्ल जनाबत के लिए खोल लिया करूं? आपने इरशाद फ़रमाया, नहीं सर पर तीन लप पानी डाल लेना काफ़ी है और उसके बाद सारे बदन पर पानी बहाकर पाक हो सकती हो। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا وَكَانَتْ حَائِضًا: «انْقُضِي شَعْرَكِ وَاغْتَسِلِي». رَوَاهُ ابنُ مَاجَه. (صحيح)

हज़रत आइशा रज़ि० से रिवायत है कि जब वह मासिक धर्म का ग़ुस्ल करने लगीं तो आप सल्ल० ने फ़रमाया, अपने बाल खोल लो और ग़ुस्ल करो। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।[2]

मसला 114. मासिक धर्म का ग़ुस्ल या ग़ुस्ले जनाबत या आम ग़ुस्ल के दौरान कलिमा शहादत पढ़ना या ईमान की ख़ूबियां पढ़ना सुन्नत से साबित नहीं।

मसला 115. जुमा के दिन ग़ुस्ल करना मसनून है।

عَنِ ابن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِل». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया, जब कोई जुमा की नमाज़ के लिए आए, तो ग़ुस्ल करके आए। इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।[3]

मसला 116. मय्यित को ग़ुस्ल देने के बाद ग़ुस्ल करना मुस्तहब है।

---

1. किताबुल हैज़।
2. सहीह सुनन इब्ने माजा, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 523
3. लुउलुउ वल मरजान, इस्तहबाब जुमा, हदीस 523

Www.IslamicBooks.Website

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مِنْ غُسْلِهِ الْغُسْلُ، وَمِنْ حَمْلِهِ الْوُضُوءُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. (صحيح)

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० फ़रमाते हैं कि नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया, मय्यित को ग़ुस्ल देने के बाद ग़ुस्ल है और मय्यित उठाने के बाद वुज़ू है। इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 117. ग़ैर मुस्लिम इस्लाम क़ुबूल करे तो उस पर ग़ुस्ल करना अनिवार्य है।

عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ. (صحيح)

हज़रत क़ैस बिन आसिम रज़ि० कहते हैं कि जब वह इस्लाम लाए, तो नबी अकरम सल्ल० ने उन्हें पानी और बेरी के पत्तों से ग़ुस्ल करने का हुक्म दिया। इसे अहमद, अबू दाऊद, नसाई और तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।[2]

मसला 118. ग़ुस्ल के लिए पर्दे का आयोजन करना ज़रूरी है।

عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَلِيمٌ حَيِيٌّ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسِّتْرَ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ». رَوَاهُ أبو دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ. (صحيح)

हज़रत याअला बिन उमैया रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने एक व्यक्ति को खुले मैदान में नंगे नहाते देखा, तो आप सल्ल० मिम्बर पर तशरीफ़ लाए, अल्लाह की प्रशंसा एवं स्तुति बयान की और फ़रमाया, अल्लाह तआला बड़ा हौसले वाला और शर्म वाला है। पर्दे और शर्म को पसन्द फ़रमाता है, अतः जो कोई ग़ुस्ल करना चाहे, पर्दा करके ग़ुस्ल करे। इसे अबू दाऊद और नसाई ने रिवायत किया है।[3]

मसला 119. औरत के लिए किसी दूसरी औरत को और मर्द के लिए किसी दूसरे मर्द को ग़ुस्ल करते हुए देखना मना है।

---

1. सहीह सुनन तिर्मिज़ी, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 791
2. सहीह सुनन नसाई, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 182
3. सहीह सुनन नसाई, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 393

Www.IslamicBooks.Website

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَنظُرُ المَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ المَرْأَةِ وَلَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ». رَوَاهُ ابنُ مَاجَةَ. (صحيح)

हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ि० कहते हैं कि रसूले अकरम सल्ल० ने फ़रमाया, कोई औरत किसी दूसरी औरत का सतर न देखे और कोई मर्द किसी दूसरे मर्द का सतर न देखे। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।[1]

मसला 120. ग़ुस्ल या वुज़ू करते हुए पानी के इस्तेमाल में सावधानी बरतनी चाहिए।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

हज़रत अनस रज़ि० फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० वुज़ू के लिए एक मुद पानी (आधा लीटर से कुछ ज़्यादा) और ग़ुस्ल के लिए एक साअ पानी (लगभग एक लीटर) से पांच मुद पानी (लगभग तीन लीटर) तक इस्तेमाल किया करते थे। इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।[2]

मसला 121. मसनून तरीक़े से ग़ुस्ल करने के बाद वुज़ू करने की ज़रूरत बाक़ी नहीं रहती।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الغُسْلِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابنُ مَاجَةَ وَالنَّسَائِيُّ وَالحَاكِمُ. (صحيح)

हज़रत आइशा रज़ि० फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ग़ुस्ल के बाद वुज़ू नहीं किया करते थे। इसे अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा, नसाई और हाकिम ने रिवायत किया है।[3]

---

1. सहीह सुनन इब्ने माजा, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 538
2. सहीह मुस्लिम, किताबुल हैज़।
3. सहीह सुनन नसाई, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 417

Www.IslamicBooks.Website

اَلْوُضُوْءُ

वुज़ू के मसाइल

मसला 122. वुज़ू के बिना नमाज़ क़ुबूल नहीं होती।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا، وقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० ने रसूलुल्लाह सल्ल० की कई हदीसें बयान कीं, जिनमें से एक यह थी कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया, अल्लाह तआला बे वुज़ू की नमाज़ क़ुबूल नहीं करता, यहां तक कि वुज़ू करे। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

मसला 123. वुज़ू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है।

عَنْ سَعِيْدِ بنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ». رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ (حسن)

हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया, जो वुज़ू से पहले "बिस्मिल्लाह" न पढ़े, उसका वुज़ू नहीं होता। इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।[2]

मसला 124. वुज़ू की श्रेष्ठता।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ حَوْضِيْ أَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةَ مِنْ عَدَنٍ لَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ الثَّلْجِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ بِاللَّبَنِ وَلَآنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ النُّجُومِ، وَإِنِّي لَأَصُدُّ النَّاسَ عَنْهُ كَمَا يَصُدُّ الرَّجُلُ إِبِلَ النَّاسِ عَنْ حَوْضِهِ، قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَتَعْرِفُنَا يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: نَعَمْ! لَكُمْ سِيْمَاءُ لَيْسَتْ لِأَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ تَرِدُوْنَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने

1. किताबुत्तहारत, अध्याय वुजूबुत्तहारत लिस्सलात।
2. सहीह सुनन तिर्मिज़ी, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 24

Www.IslamicBooks.Website

फ़रमाया कि मेरा हौज़ अदन और ऐला के फ़ासले से भी ज़्यादा बड़ा है, उसका पानी बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद और शहद और दूध से ज़्यादा मीठा है। उस पर रखे हुए बर्तन संख्या में (आसमान के) तारों से भी ज़्यादा हैं। (क़यामत के दिन) मैं (दूसरी उम्मत के) लोगों को इस तरह अपने हौज़ पर आने से रोकूंगा जिस तरह कोई आदमी दूसरे आदमी के ऊंटों को अपने हौज़ पर आने से रोकता है। सहाबा किराम रज़ि० ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल०, क्या आप हमको उस दिन (दूसरी उम्मतों के लोगों में) पहचान लेंगे? आपने फ़रमाया, हां वुज़ू के कारण तुम्हारे हाथ पांव इतने रौशन और चमकदार होंगे कि ऐसे निशान किसी दूसरी उम्मत के लोगों के लिए नहीं होंगे। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

मसला 125. वुज़ू का मसनून तरीक़ा यह है।

عَنْ حُمْرَانَ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَعَا بِوَضُوْءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنٰى إِلَى الْمِرفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرٰى مِثْلَ ذٰلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِيْ هٰذَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

हज़रत हुमरान रज़ि० से रिवायत है कि हज़रत उसमान रज़ि० ने वुज़ू के लिए पानी मंगवाया। पहले अपनी हथेलियां तीन बार धोयीं, फिर कुल्ली की और नाक में पानी डाला, फिर अपना मुंह तीन बार धोया। उसके बाद अपना दायां हाथ कोहनी तक तीन बार धोया इसी तरह बायां हाथ कोहनी तक तीन बार धोया, फिर सर का मसह किया। मसह के बाद अपना दायां पांव टख़ने तक तीन बार धोया और इसी तरह बायां पांव टख़ने तक तीन बार धोया। फिर फ़रमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्ल० को इसी तरह वुज़ू करते देखा है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[2]

मसला 126. वुज़ू से पहले नीयत के प्रचलित शब्द "नवैतु अन

1. किताबुत्तहारत, अध्याय इस्तहबाब।
2. किताबुत्तहारत, अध्याय सिफ़तुल वुज़ू।

Www.IslamicBooks.Website

तवज़्ज़ा'' अदा करना सुन्नत से साबित नहीं।

मसला 127. दौराने वुज़ू विभिन्न अंग धोते समय प्रचलित दुआएं पढ़ना सुन्नत से साबित नहीं।

मसला 128. वुज़ू के बाद निम्न दुआ पढ़ना मसनून है।

عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ أَوْ يُسْبِغُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْلُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وأبو دَاوُدَ والتِّرْمِذِيُّ وزاد: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ. (صحيح)

हज़रत उमर रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया, यदि कोई व्यक्ति पूरी वुज़ू करके यह दुआ पढ़े कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह तआला के सिवा कोई उपास्य नहीं। वह एक है उसका कोई साझी नहीं। मैं गवाही देता हूं कि मुहम्मद सल्ल० अल्लाह के बन्दे और उसके रसूल हैं तो उसके लिए जन्नत के आटों दरवाज़े खोल दिए जाते हैं कि जिससे चाहे दाख़िल हो। इसे अहमद, मुस्लिम, अबू दाऊद और तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।[1] तिर्मिज़ी ने इस दुआ में इन शब्दों की वृद्धि भी की है। या अल्लाह मुझे तौबा करने वालों और पाक रहने वालों में शामिल फ़रमा।[2]

मसला 129. वुज़ू करते हुए पानी के इस्तेमाल में सावधानी बरतनी चाहिए।

स्पष्टीकरण : हदीस मसला 120 के अन्तर्गत देखें।

मसला 130. रसूलुल्लाह सल्ल० ने हर वुज़ू के साथ मिस्वाक करने की ताकीद की है।

عن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلٰى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوْءٍ». أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ والنَّسَائِيُّ. (صحيح)

---

1. सहीह मुस्लिम किताबुत्तहारत।
2. सहीह सुनन तिर्मिज़ी, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 48

Www.IslamicBooks.Website

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया, यदि मुझे उम्मत की तकलीफ़ का आभास न होता तो मैं हर नमाज़ के साथ मिस्वाक करने का हुक्म देता। इसे मालिक, अहमद, और नसाई ने रिवायत किया है।[1]

मसला 131. मिस्वाक करने की श्रेष्ठता।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ». رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ والدَّارِمِيُّ وَالنَّسَائِيُّ. (صحيح)

हज़रत आइशा रज़ि० फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया, मिस्वाक मुंह की पाकी और अल्लाह की ख़ुशनूदी का कारण है। इसे शाफ़ई, अहमद, दारमी और नसाई ने रिवायत किया है।[2]

मसला 132. रोज़ा न हो तो वुज़ू करते समय नाक में पानी अच्छी तरह चढ़ाना चाहिए।

मसला 133. हाथ पांव की उंगलियों और दाढ़ी का ख़िलाल करना मसनून है।

عن لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَسْبِغِ الْوُضُوْءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ والتِّرْمِذِيُّ والنَّسَائِيُّ وابْنُ مَاجَه. (صحيح)

हज़रत लक़ीत बिन सबिरह रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया, वुज़ू अच्छी तरह करो, हाथ पांव की उंगलियों में ख़िलाल करो और यदि रोज़ा न हो तो नाक में पानी अच्छी तरह चढ़ाओ। इसे अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने माजा ने रिवायत किया है।[3]

عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ فِي الْوُضُوْءِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. (صحيح)

हज़रत उसमान रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० वुज़ू

1. सहीह सुनन नसाई, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 7
2. सहीह सुनन नसाई, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 5
3. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 129

Www.IslamicBooks.Website

करते हुए दाढ़ी का ख़िलाल करते थे। इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 134. केवल चौथाई सर का मसह करना सुन्नत से साबित नहीं।

मसला 135. गर्दन का मसह करना सुन्नत से साबित नहीं।

मसला 136. सर के मसह का मसनून तरीक़ा यह है :

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي صِفَةِ الوُضُوْءِ قَالَ: مَسَحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتّٰى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى المَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنهُ رَوَاهُ البُخَارِيُّ

हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन आसिम रज़ि० वुज़ू का तरीक़ा बयान करते हुए कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने अपने सर का मसह इस तरह किया कि अपने दोनों हाथ आगे से पीछे ले गए और पीछे से आगे लाए। अर्थात पहले सर के अगले हिस्से से शुरू किया और दोनों हाथों को गद्दी तक ले गए फिर जहां से शुरू किया था वहीं तक वापस ले आए। इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[2]

मसला 137. सर के मसह के साथ कानों का मसह भी ज़रूरी है।

मसला 138. कानों के मसह का मसनून तरीक़ा यह है :

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما فِي صِفَةِ الوُضُوْءِ قَالَ: ثُمَّ مَسَحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ بَاطِنِهِما بِالسَّبَّاحَتَيْنِ وَظَاهِرِهِمَا بِإِبْهَامَيْهِ . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (حسن)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० वुज़ू का तरीक़ा बताते हुए फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने अपने सर का मसह किया और अपनी शहादत की दोनों उंगलियों से दोनों कानों के अंदर और अपने दोनों अंगूठों से दोनों कानों के बाहर के हिस्से का मसह किया। इसे नसाई ने रिवायत किया है।[3]

1. सहीह सुनन तिर्मिज़ी, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 28
2. किताबुल वुज़ू, अध्याय मसह रास।
3. सहीह सुनन नसाई, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 99

Www.IslamicBooks.Website

मसला 139. पगड़ी पर मसह करना जाइज़ है।

عَنِ الْمُغِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْخُفَّيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

हज़रत मुग़ीरा बिन शुअ़बा रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने वुज़ू करते हुए पेशानी के बालों, पगड़ी और मौज़ों पर मसह किया। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

स्पष्टीकरण : जिस पगड़ी पर मसह किया जाए उसे नमाज़ पूरी करने से पहले नहीं उतारना चाहिए।

मसला 140. वुज़ू करके पहने हुए जूतों, मौज़ों और जुराबों पर मसह किया जा सकता है।

मसला 141. मसह की अवधि स्थानीय के लिए एक दिन रात और मुसाफ़िर के लिए तीन दिन रात है।

मसला 142. जुंबी होना मसह की अवधि को ख़त्म कर देता है।

عَنِ الْمُغِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَسَحَ عَلَى لجَوْرَبَيْنِ والنَّعْلَيْنِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وابْنُ مَاجَةَ. (صحيح)

हज़रत मुग़ीरा बिन शुअ़बा रज़ि० कहते हैं कि नबी अकरम सल्ल० ने वुज़ू करते समय जुराबों और जूतों पर मसह किया। इसे अहमद, तिर्मिज़ी, अबू दाऊद और इब्ने माजा ने रिवायत किया है।[2]

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سفرًا أَنْ لا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ نَوْمٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ. (حسن)

हज़रत सफ़वान बिन अस्साल रज़ि० से रिवायत है कि जब हम सफ़र में होते, तो रसूलुल्लाह सल्ल० हमें तीन दिन रात के बाद मौज़े उतारने का हुक्म देते थे, चाहे पेशाब पाख़ाना की हाजत हो, या नींद आए, अलबत्ता

1. किताबुत्तहारत, अध्याय मसह।
2. सहीह सुनन तिर्मिज़ी, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 86

Www.IslamicBooks.Website

जनाबत की वजह से मौज़े न उतारने का हुक्म देते थे। इसे तिर्मिज़ी और नसाई ने रिवायत किया है।[1]

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيْمِ. يَعْنِيْ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने तीन दिन रात मुसाफ़िर के लिए और एक दिन रात स्थानीय के लिए मौज़ों के मसह की अवधि निर्धारित फ़रमाई है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[2]

मसला 143. वुज़ू के अंश में से कोई जगह ख़ुश्क नहीं रहनी चाहिए।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا وَفِيْ قَدَمِهِ مِثْلُ الظُّفُرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ، فَقَالَ: «ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوْءَكَ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ. (صحيح)

हज़रत अनस रज़ि० फ़रमाते हैं कि नबी अकरम सल्ल० ने एक आदमी को देखा जिसके पांव में वुज़ू करने के बाद नाख़ुन जितनी जगह ख़ुश्क थी। रसूलुल्लाह सल्ल० ने उसे हुक्म दिया कि वापस जाकर अच्छी तरह वुज़ू करो। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।[3]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا لَمْ يَغْسِلْ عَقِبَهُ فَقَالَ: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने एक आदमी को देखा जिसने (वुज़ू में) अपनी ऐढ़ी नहीं धोई थी, तो आप सल्ल० ने फ़रमाया "(ख़ुश्क) ऐढ़ियों के लिए आग का अज़ाब है।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[4]

मसला 144. वुज़ू या ग़ुस्ल के बाद पानी ख़ुश्क करने के लिए इच्छानुसार तौलिया इस्तेमाल करना या न करना दोनों तरह सही है।

---

1. सहीह सुनन तिर्मिज़ी, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 83
2. किताबुत्तहारत, अध्याय तर्ग़ीब फ़िल मसह।
3. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 158
4. किताबुत्तहारत, अध्याय वुजूब ग़ुस्ल रजलैन।

Www.IslamicBooks.Website

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا قَالَتْ كَانَتْ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ خِرْقَةٌ يَنْشِفُ بِهَا بَعْدَ الْوُضُوْءِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (حَسَنٌ)

हज़रत आइशा रज़ि० फ़रमाती हैं कि रसूले अकरम सल्ल० के लिए एक कपड़ा था जिससे आप वुज़ू के बाद बदन पोंछते। इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।[1]

عَنْ مَيْمُوْنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا فِي صِفَةِ غُسْلِ الجَنَابَةِ قَالَتْ فَغَسَلَ رِجْلَيهِ ثُمَّ أَتَيْتُه بِالمِنْدِيْلِ فَرَدَّهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

हज़रत मैमूना रज़ि० नबी करीम सल्ल० के ग़ुस्ल जनाबत का तरीक़ा बयान करते हुए फ़रमाती हैं कि नबी अकरम सल्ल० ने (ग़ुस्ल के बाद) अपने दोनों पांव (फिर) धोए। इसके बाद मैंने आपको (बदन पोंछने के लिए) तौलिया दिया तो आपने वापस कर दिया। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[2]

मसला 145. वुज़ू के अंग एक बार या दो बार या तीन बार धोने जाइज़ हैं। इससे ज़्यादा धोना मना है।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ مَرَّةً مَرَّةً. رَوَاهُ أَحْمَدُ والبُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ وأَبُو دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ والتِّرْمِذِيُّ وابنُ مَاجَةَ.

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने वुज़ू करते हुए एक एक बार अंग धोए। इसे अहमद, बुख़ारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, तिर्मिज़ी और इब्ने माजा ने रिवायत किया है।[3]

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّتَينِ مَرَّتَينِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ والبُخَارِيُّ.

हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने वुज़ू किया और दो दो बार अंग धोए। इसे अहमद और बुख़ारी ने रिवायत किया है।[4]

---

1. किताबुत्तहारत, अध्याय मन्देल बादुल वुज़ू।
2. किताबुल हैज़, अध्याय सिफ़त ग़ुस्ल जनाबत।
3. सहीह बुख़ारी किताबुल वुज़ू।
4. सहीह बुख़ारी किताबुल वुज़ू, अध्याय वुज़ू।

Www.IslamicBooks.Website

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوْءِ، فَأَرَاهُ ثَلَاثًا وقَالَ: «هٰذَا الْوُضُوْءُ، فَمَنْ زَادَ عَلٰى هٰذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وابنُ مَاجَة. (حسن)

हज़रत अम्र बिन शुऐब रज़ि० अपने पिता से और शुऐब अपने दादा अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ि० से रिवायत करते हैं कि एक देहाती ने रसूलुल्लाह सल्ल० से वुज़ू का तरीक़ा मालूम किया, तो नबी अकरम सल्ल० ने उसे तीन तीन बार वुज़ू के अंग धोकर दिखाए और फ़रमाया। वुज़ू का तरीक़ा यह है कि जिसने उससे ज़्यादा बार धोए उसने बुरा किया। ज़्यादती की और ज़ुल्म किया। इसे अहमद और इब्ने माजा ने रिवायत किया है।[1]

मसला 146. एक वुज़ू से कई नमाज़ें पढ़ी जा सकती हैं।

عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

हज़रत बुरैदा रज़ि० से रिवायत है कि फ़तह मक्का के दिन रसूलुल्लाह सल्ल० ने कई नमाज़ें एक वुज़ू से पढ़ीं। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[2]

मसला 147. वुज़ू करने के बाद बेकार की बातें या व्यर्थ काम नहीं करने चाहिएं।

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ يَدَيْهِ فَإِنَّهُ فِي الصَّلَاةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ والتِّرْمِذِيُّ وأَبُو دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ والدَّارِمِيُّ. (صحيح)

हज़रत काअब बिन उजरा रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया, जब तुममें से कोई वुज़ू करके मस्जिद की तरफ़ जाए, तो रास्ते में उंगलियों में उंगलियां डालकर न चले, क्योंकि वुज़ू के बाद आदमी हालते

1. सहीह सुनन इब्ने माजा, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 339
2. किताबुत्तहारत, अध्याय जवाज़ सलात।

Www.IslamicBooks.Website

नमाज़ ही में होता है। इसे अहमद, तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, नसाई और दारमी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 148. टेक लगाए बिना नींद या ऊंघ आ जाए तो वुज़ू या तयम्मुम नहीं टूटता।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَنْتَظِرُوْنَ العِشَاءَ الآخِرَةَ حَتّٰى تَخْفِقَ رُؤُسُهُمْ ثُمَّ يُصَلُّوْنَ وَلاَ يَتَوَضَّئُوْنَ. رَوَاهُ أبو دَاوُدَ. (صحيح)

हज़रत अनस बिन मालिक रज़ि० से रिवायत है कि सहाबा किराम रज़ि० नमाज़े इशा का इंतज़ार करते, यहां तक कि उनके सर (नींद की वजह से) झुक जाते फिर वे (दोबारा) वुज़ू किए बिना नमाज़ पढ़ लेते। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।[2]

मसला 149. मात्र शक से वुज़ू नहीं टूटता।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئاً فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا؟ فَلاَ يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتّٰى يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجِدَ رِيْحاً». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया कि जब तुममें से कोई आदमी अपने पेट में शिकायत महसूस करे और उसे संदेह हो जाए कि हवा निकली है या नहीं, तो जब तक बदबू महसूस न करे या आवाज़ न सुने, मस्जिद से वुज़ू के लिए बाहर न निकले। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[3]

मसला 150. पत्नी का चुम्बन लेने से वुज़ू नहीं टूटता बशर्ते कि भावनाओं पर क़ाबू हो।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. رَوَاهُ أبو دَاوُدَ والتِّرمِذِيُّ وابْنُ مَاجَة. (صحيح)

1. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 526
2. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 184
3. किताबुल हैज़।

Www.IslamicBooks.Website

हज़रत आइशा रज़ि० फ़रमाती हैं, नबी अकरम सल्ल० अपनी पाक पत्नियों का चुम्बन लेते और वुज़ू किए बिना (पहले वुज़ू से ही) नमाज़ अदा फ़रमा लेते। इसे अबू दाऊद, तिर्मिज़ी और इब्ने माजा ने रिवायत किया है।[1]

मसला 151. आग पर पकी हुई चीज़ें खाने से वुज़ू नहीं टूटता अलबत्ता ऊंट का गोश्त खाने के बाद वुज़ू करना चाहिए।

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوْمِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ تَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تَتَوَضَّأْ». قَالَ: أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوْمِ الإِبِلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ تَوَضَّأْ مِنْ لُحُوْمِ الإِبِلِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ.

हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ि० से रिवायत है कि एक व्यक्ति ने रसूले अकरम सल्ल० से पूछा : क्या हम बकरी का गोश्त खाकर वुज़ू करें? आप सल्ल० ने फ़रमाया, चाहो तो कर लो न चाहो तो न करो। फिर उसने सवाल किया : क्या ऊंट का गोश्त खाकर वुज़ू करें? आपने फ़रमाया, हां ऊंट का गोश्त खाकर वुज़ू करो। इसे अहमद और मुस्लिम ने रिवायत किया है।[2]

मसला 152. कपड़े की आड़ के बिना शर्मगाह को हाथ लगाया जाए तो वुज़ू टूट जाता है वरना नहीं।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ دُوْنَهُ سِتْرٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوْءُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया, जिसने अपना हाथ कपड़े की आड़ के बिना अपनी शर्मगाह को लगाया, उस पर वुज़ू ज़रूरी हो गया। इसे अहमद ने रिवायत किया है।[3]

मसला 153. चिकनाई वाली चीज़ खाने के बाद कुल्ली करना ज़रूरी है।

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ لَبَناً ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ وَقَالَ: «إِنَّ لَهُ دَسَماً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

---

1. सहीह सुनन तिर्मिज़ी, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 85
2. सहीह मुस्लिम, किताबुल हैज़, अध्याय वुज़ू।
3. नैलुल अवतार, पहला भाग, हदीस 255

Www.IslamicBooks.Website

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने दूध पिया और कुल्ली की। फिर फ़रमाया : "इसमें चिकनाहट है।" इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

मसला 154. मज़ी निकलने से वुज़ू टूट जाता है।

عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمَذْيِ فَقَالَ: «مِنَ الْمَذْيِ الْوُضُوءُ وَمِنَ الْمَنِيِّ الْغُسْلُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. (صحيح)

हज़रत अली रज़ि० से रिवायत है कि मैंने नबी अकरम सल्ल० से मज़ी के बारे में मालूम किया, तो आप सल्ल० ने जवाब दिया, "मज़ी निकलने से वुज़ू करना चाहिए, और वीर्य निकलने से ग़ुस्ल करना चाहिए।" इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।[2]

मसला 155. मुस्तक़िल बीमारी की वजह से पूरी पाकी संभव न हो तो उसी हालत में नमाज़ अदा करनी चाहिए अलबत्ता ऐसी सूरत में हर नमाज़ के लिए नया वुज़ू करना ज़रूरी है।

स्पष्टीकरण : हदीस मसला 98 के अन्तर्गत देखें।

मसला 156. हवा निकलने से वुज़ू टूट जाता है।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لاَ وُضُوءَ إِلاَّ مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : वुज़ू करने की ज़रूरत नहीं मगर जब आवाज़ आए या हवा निकली हो। इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।[3]

---

1. सहीह मुस्लिम, किताबुल हैज़, अध्याय वुज़ू।
2. सहीह सुनन तिर्मिज़ी, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 99
3. सहीह सुनन तिर्मिज़ी, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 64

Www.IslamicBooks.Website

أَلتَّيَمُّم

तयम्मुम के मसाइल

मसला 157. पानी न मिलने की सूरत में वुज़ू की बजाए पाक मिट्टी से तयम्मुम करना चाहिए।

मसला 158. वुज़ू या ग़ुस्ल के लिए या वुज़ू और ग़ुस्ल दोनों के लिए ही तयम्मुम काफ़ी है।

मसला 159. दोनों हाथ, दो बार मिट्टी वाली जगह पर मारकर पहले मुंह और फिर दोनों हाथों पर फेर लेने से तयम्मुम हो जाता है।

عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ المَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيْدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ. فَقَالَ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ أَنْ تَقُوْلَ بِيَدَيْكَ هٰكَذَا ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى اليَمِيْنِ وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ واللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ि० से रिवायत है कि मुझे नबी अकरम सल्ल० ने एक काम से भेजा। मुझे रात को स्वप्नदोष हो गया और पानी न मिला। मैं (तयम्मुम करने के लिए) ज़मीन पर जानवरों की तरह लेटा। जब नबी अकरम सल्ल० के पास वापस आया और इस घटना का ज़िक्र किया, तो नबी अकरम सल्ल० ने दोनों हाथ एक बार ज़मीन पर मारे और दाएं हाथ को बाएं हाथ पर मारा। उसके बाद आपने हथेलियों की पुश्त और मुंह पर मसह किया। इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। ये शब्द मुस्लिम के हैं।[1]

मसला 160. बीमारी की वजह से तयम्मुम किया जा सकता है।

---

1. किताबुल हैज़, अध्याय तयम्मुम।

Www.IslamicBooks.Website

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّ رَجُلاً أَصَابَهُ جُرْحٌ فِي رَأْسِهِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ثُمَّ أَصَابَهُ اِحْتِلاَمٌ فَأَمَرَ بِالاغْتِسَالِ فَاغْتَسَلَ فَكُزَّ، فَمَاتَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «قَتَلُوْهُ قَتَلَهُمُ اللهُ أَوَلَمْ يَكُنْ شِفَاءَ العَيِّ السُّؤَالُ». رَوَاهُ أبو دَاوِدَ وابْنُ مَاجَةَ والحَاكِمُ. (حَسَنٌ)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० के ज़माने में एक आदमी को सर पर घाव हो गया। फिर उसे स्वप्नदोष की शिकायत हो गई, लोगों ने उसे ग़ुस्ल करने का हुक्म दिया। उसने ग़ुस्ल किया तो उसकी तकलीफ़ बढ़ गई और मर गया। नबी अकरम सल्ल० को मालूम हुआ तो आपने फ़रमाया, लोगों को अल्लाह विनष्ट करे, उन्होंने उसे मार डाला। जानकारी न होने का इलाज मसला मालूम करने में है। इसे अबू दाऊद, इब्ने माजा और हाकिम ने रिवायत किया है।[1]

मसला 161. सख़्त सर्दी की वजह से भी तयम्मुम किया जा सकता है।

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ لَمَّا بُعِثَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلاَسِلِ قَالَ: اِحْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيْدَةِ الْبَرْدِ، فَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِيْ صَلاَةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ذَكَرُوا ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ: «يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟» فَقُلْتُ: ذَكَرْتُ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَا تَقْتُلُوْا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ، فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئاً. رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبو دَاوُدَ والدَّارَقُطْنِيُّ. (صحيح)

हज़रत अम्र बिन आस रज़ि० से रिवायत है कि मुझे जंग सलासिल पर भेजा गया, तो रास्ते में स्वप्नदोष हो गया। रात सख़्त सर्दी थी। ग़ुस्ल करने से मर जाने का डर था। अतः मैंने तयम्मुम करके सुबह की नमाज़ पढ़ा दी। जब हम रसूलुल्लाह सल्ल० की सेवा में हाज़िर हुए, तो आपको बताया गया। आपने फ़रमाया, ऐ अम्र! तुमने हालते जनाबत में लोगों को नमाज़ पढ़ा दी। मैंने अर्ज़ किया, मुझे क़ुरआन मजीद की यह आयत याद आ गई : लोगों अपने आपको कष्ट में न डालो। अल्लाह तुम पर बड़ा कृपालू है। (सूरह

1. सहीह सुनन इब्ने माजा, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 464

Www.IslamicBooks.Website

निसा, आयत 29) और मैंने तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ा दी। यह सुनकर आप सल्ल० मुस्कुरा दिए और कुछ भी नहीं फ़रमाया। इसे अहमद, अबू दाऊद और दारे क़ुतनी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 162. पानी मिलने के बाद तयम्मुम स्वयं ख़त्म हो जाता है।

عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الصَّعِيدَ طَهُوْرُ الْمُسْلِمِ وإِنْ لَّمْ يَجِدِ الْمَآءَ عَشْرَ سِنِيْنَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَآءَ فَلْيُمِسَّه بَشَرَتَه فَإِنَّ ذٰلِكَ خَيْرٌ». رَوَاهُ أَحْمدُ والتِّرْمِذِيُّ. (صحيح)

हज़रत अबूज़र रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया कि, (पाक) मिट्टी मुसलमान को पाक कर देती है, चाहे दस साल तक पानी न मिले। लेकिन जब मिल जाए तो फिर पानी से शरीर धोना चाहिएं पानी का इस्तेमाल बेहतर है। इसे अहमद और तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।[2]

स्पष्टीकरण : तयम्मुम के बाक़ी मसाइल वही हैं जो वुज़ू के हैं।

---

1. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 323
2. सहीह सुनन तिर्मिज़ी, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 107

Www.IslamicBooks.Website

مَسَائِلٌ مُتَفَرِّقَةٌ

विभिन्न मसाइल

मसला 163. दरिन्दों की खाल के कोट, कम्बल, क़ालीन, पर्स या जूते आदि इस्तेमाल करना मना है।

عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ الدَّارِمِيُّ: أَنْ تُفْتَرَشَ. (صحيح)

हज़रत अबू मलीह बिन उसामा रज़ि० अपने बाप से रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्ल० ने दरिन्दों की खाल इस्तेमाल करने से मना फ़रमाया है। इसे अहमद, अबू दाऊद और नसाई ने रिवायत किया है। तिर्मिज़ी और दारमी ने इस हदीस में इन शब्दों की वृद्धि की है। आपने दरिन्दों की खाल नीचे बिछाने से भी मना फ़रमाया है।[1]

मसला 164. ख़तना करना, नाफ़ के नीचे के बाल साफ़ करना, नाख़ुन काटना, बग़ल के बाल साफ़ करना और मूंछे कतरना सुन्नत है।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ، وَالاِسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الإِبِطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया, प्रकृति में पांच चीज़ें (शामिल) हैं या आपने फ़रमाया पांच चीज़ें प्रकृति से हैं : (1) ख़तना करना (2) नाफ़ के नीचे के बाल साफ़ करना (3) नाख़ुन काटना (4) बग़ल के बाल साफ़ करना और (5) मूंछें कतरना। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[2]

मसला 165. मुसलमान मर्दों और औरतों को चालीस दिन से ज़्यादा नाख़ुन बढ़ाना मना है।

1. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी, दूसरा भाग, हदीस 3480
2. किताबुत्तहारत, अध्याय ख़िसालुल फ़ितरत।

Www.IslamicBooks.Website

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: وُقِّتَ لَنَا فِيْ قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيْمِ الأَظْفَارِ وَنَتْفِ الإِبْطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لاَ نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

हज़रत अनस बिन मालिक रज़ि० फ़रमाते हैं कि हमारे लिए मूंछ कतरने, नाखुन काटने, बग़ल के बाल साफ़ करने और नाफ़ के नीचे के बाल साफ़ करने की अवधि चालीस दिन निर्धारित की गई है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

मसला 166. रसूले अकरम सल्ल० ने दाढ़ी रखने और मूंछें साफ़ करने का हुक्म दिया है।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ، أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَوْفُوا اللُّحَى». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० कहते हैं कि रसूले अकरम सल्ल० ने फ़रमाया, मुशरिकों का उल्टा करो। दाढ़ी रखो और मूंछें साफ़ कराओ। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[2]

मसला 167. सोकर उठने के बाद तीन बार हाथ धोने के बाद किसी चीज़ को हाथ लगाना चाहिए।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثاً فَإِنَّهُ لَا يَدْرِيْ أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया कि आदमी सोकर उठे तो जब तक अपने हाथ तीन बार न धो ले, बर्तन में न डाले, क्योंकि मालूम नहीं रात उसका हाथ किस किस जगह लगता रहा। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 168. मुसलमान का पसीना और बाल पाक हैं।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَتْ تَبْسُطُ لِلنَّبِيِّ ﷺ نِطْعاً فَيَقِيْلُ عِنْدَهَا عَلَى ذٰلِكَ النِّطْعِ فَإِذَا قَامَ أَخَذَتْ مِنْ عَرَقِهِ وَشَعَرِهِ فَجَمَعَتْهُ فِيْ قَارُوْرَةٍ ثُمَّ جَعَلَتْهُ فِي سُكٍّ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

1. किताबुत्तहारत, अध्याय ख़िसालुल फ़ितरत।
2. किताबुत्तहारत, अध्याय ख़िसालुल फ़ितरत।

Www.IslamicBooks.Website

हज़रत अनस बिन मालिक रज़ि० से रिवायत है कि हज़रत उम्मे सुलैम रज़ि० रसूलुल्लाह सल्ल० का बिस्तर बिछा दिया करती थीं। आप सल्ल० उस पर दोपहर को आराम फ़रमाया करते। जब रसूलुल्लाह सल्ल० जागते तो उम्मे सुलैम रज़ि० आपके पसीने और बालों को एक शीशी में जमा कर लेतीं और उन्हें ख़ुश्बू में मिला दिया करतीं। इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 169. नींद से उठने के बाद हाथ मुंह धोए बिना या वुज़ू किए बिना ज़बानी क़ुरआन पाक की तिलावत करना, ज़िक्र करना या दुआ आदि मांगना जाइज़ है।

عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَهِيَ خَالَتُهُ قَالَ: فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَهْلُهُ فِي طُوْلِهَا فَنَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيْلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيْلٍ اسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الآيَاتِ الخَوَاتِمَ مِنْ سُوْرَةِ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

हज़रत कुरैब रज़ि० जो कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० के आज़ाद किए गए ग़ुलाम थे, उन्हें स्वयं अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० ने यह बात बताई कि उन्होंने (अर्थात अब्दुल्लाह) ने एक रात अपनी ख़ाला, उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ि० के यहां गुज़ारी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० फ़रमाते हैं कि मैं तकिये की चौड़ाई की ओर लेटा और रसूले अकरम सल्ल० और आपकी पाक पत्नी सरहाने की लम्बाई की तरफ़ सर रखकर लेट गए। रसूलुल्लाह सल्ल० कम या ज़्यादा आधी रात तक सोने के बाद उठे, अपने हाथ चेहरे पर फेरकर नींद के आसार दूर किए, फिर सूरह आले इमरान की आख़िरी दस आयतें तिलावत फ़रमाईं। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्ल० लटकी हुई पानी की पुरानी मश्क के पास गए और ख़ूब इत्मीनान से वुज़ू करके नमाज़ पढ़ी। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[2]

1. किताबुल इस्तादान।
2. किताब सलातुल मुसाफ़िरीन, अध्याय सलातुन्नबी।

Www.IslamicBooks.Website

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَالَ: «بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَى، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ قَالَ: الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ि० कहते हैं कि नबी अकरम सल्ल० सोना चाहते, तो फ़रमाते 'बिस्मि-क'—या अल्लाह मैं तेरे नाम की बरकत से सोता और जागता हूं। फिर जब नींद से जागते, तो फ़रमाते, 'अलहम्दुलिल्लाह'—अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें सोने के बाद जगा दिया और हम सबको मरने के बाद उसी के पास जाना है। इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 170. बचपन में किसी वजह से ख़तना न हुआ हो, तो ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में ख़तना किया जा सकता है।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقَدُومِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया, हज़रत इबराहीम अलैहि० ने अस्सी साल की उम्र में तीशा (लकड़ी छीलने का औज़ार) से ख़तना किया। इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[2]

मसला 171. सर का कुछ हिस्सा मूंढना और कुछ छोड़ देना मना है।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهَى عَنِ الْقَزَعِ، قِيلَ لِنَافِعٍ مَا الْقَزَعُ؟ قَالَ: يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ بَعْضُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० से रिवायत है कि मैंने नबी अकरम सल्ल० को क़ज़अ से मना फ़रमाते हुए सुना है। (हदीस के एक रावी) हज़रत नाफ़ेअ रज़ि० से पूछा गया, क़ज़अ क्या है? उन्होंने कहा, बच्चे के सर का एक हिस्सा मुंढवा देना और एक हिस्सा छोड़ देना। इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।[3]

---

1. किताबुद्दावात, अध्याय मा यक़ूलु इज़ा ताम।
2. किताबुल अंबिया, अध्याय क़ौलुल्लाहि तआला।
3. सहीह बुख़ारी, किताबुल्लिबास, अध्याय क़ज़अ।

Www.IslamicBooks.Website

أَلْأَحَادِيْثُ الضَّعِيْفَةُ وَالْمَوضُوعَةُ

ज़ईफ़ और मौज़ूअ हदीसें

١ حَبَّذَا السِّوَاكُ يَزِيْدُ الرَّجُلُ فَصَاحَةً

मिस्वाक का इस्तेमाल क्या ही ख़ूब है कि आदमी के शवाक में वृद्धि करता है।

स्पष्टीकरण : यह हदीस मौज़ूअ है, देखें "फ़वाइदुल मज्मूआ" लिलशोकानी, हदीस 20

٢ غَسْلُ الإِنَاءِ وَطُهْرُ الْفِنَاءِ يُوْرِثَانِ الْغِنَى

बर्तन का धोना और सहन की सफ़ाई करना ग़िना का कारण बनते हैं।

स्पष्टीकरण : यह हदीस मौज़ूअ है, बहवाला साबिक़ हदीस 6

٣ الوُضُوْءُ مِنَ الْبَوْلِ مَرَّةً وَمِنَ الْغَائِطِ مَرَّتَيْنِ وَمِنَ الْجَنَابَةِ ثَلَاثًا.

पेशाब के बाद एक बार वुज़ू करना चाहिए। पाख़ाना के बाद दो बार और जनाबत के बाद तीन बार।

स्पष्टीकरण : यह हदीस मौज़ूअ है, बहवाला साबिक़ हदीस 37

٤ الْمَضْمَضَةُ وَالاِسْتِنْشَاقُ ثَلَاثًا فَرِيْضَةٌ لِلْجُنُبِ.

तीन बार कुल्ली और तीन बार नाक में पानी चढ़ाना जुंबी के लिए फ़र्ज़ है।

स्पष्टीकरण : यह हदीस मौज़ूअ है, बहवाला साबिक़ हदीस 12

٥ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَاكُ عَرْضًا وَيَشْرَبُ مَضًّا.

नबी अकरम सल्ल० मिस्वाक ऊपर से नीचे के रुख़ करते और पानी घूंट घूंट करके पीते।

स्पष्टीकरण : यह हदीस मौज़ूअ है, बहवाला साबिक़ हदीस 24

٦ بُنِي الدِّيْنُ عَلَى النَّظَافَةِ.

दीन की बुनियाद सफ़ाई पर है।

Www.IslamicBooks.Website

स्पष्टीकरण : यह हदीस मौज़ूअ है, बहवाला साबिक़ हदीस 27

٧ مَنْ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ حَلَالاً أَعْطَاهُ اللهُ مِائَةَ قَصْرٍ مِنْ دُرَّةٍ بَيْضَاءَ وَكُتِبَ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ ثَوَابُ أَلْفِ شَهِيْدٍ.

जिसने अपनी पत्नी से संभोग करने के बाद ग़ुस्ल किया अल्लाह तआला उसको सफ़ेद मोतियों के सौ महल प्रदान करेगा और पानी की हर बूंद के बदले उसके कर्म पत्र में हज़ार शहीदों का सवाब लिखा जाएगा।

स्पष्टीकरण : यह हदीस मौज़ूअ है, बहवाला साबिक़ हदीस 15

٨ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اسْتَاكَ قَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ سِوَاكِي رِضَاكَ عَنِّي وَاجْعَلْهُ طَهُوْرًا وَتَمْحِيْصًا، وَبَيِّضْ وَجْهِي كَمَا تُبَيِّضُ بِهِ أَسْنَانِي».

नबी अकरम सल्ल० जब मिस्वाक करते तो फ़रमाते या अल्लाह मेरी मिस्वाक को अपनी रज़ा का कारण बना और इसे शरीर की पाकी और गुनाहों की पवित्रता का साधन बना और मेरे चेहरे को इस तरह रोशन कर दे जिस तरह मेरे दांतों को रोशन किया है।

स्पष्टीकरण : यह हदीस मौज़ूअ है, बहवाला साबिक़ हदीस 36

٩ «يَا أَنَسُ ادْنُ مِنِّي أُعَلِّمُكَ مَقَادِيْرَ الْوُضُوْءِ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَلَمَّا أَنْ غَسَلَ يَدَيْهِ قَالَ: بِسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ فَلَمَّا اسْتَنْجَى قَالَ: اللَّهُمَّ أَحْصِنْ فَرْجِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي فَلَمَّا تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَقِّنِي حُجَّتِي، وَلَا تَحْرِمْنِي رَائِحَةَ الْجَنَّةِ. فَلَمَّا أَنْ غَسَلَ وَجْهَهُ قَالَ: اللَّهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِي يَوْمَ تَبْيَضُّ الْوُجُوْهُ. فَلَمَّا أَنْ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ قَالَ: اللَّهُمَّ اعْطِنِي كِتَابِي بِيَمِيْنِي. فَلَمَّا مَسَحَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ قَالَ: اللَّهُمَّ تَغَشَّنَا بِرَحْمَتِكَ وَجَنِّبْنَا عَذَابَكَ. فَلَمَّا غَسَلَ قَدَمَيْهِ قَالَ: اللَّهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمِي يَوْمَ تَزُوْلُ الْأَقْدَامُ».

ऐ अनस रज़ि मेरे क़रीब आओ मैं तुम्हें वुज़ू का तरीक़ा सिखाऊं।" मैं आपके क़रीब हुआ, तब आप सल्ल० ने दोनों हाथ धोए तो फ़रमाया, 'बिस्मिल्लाहि वल हम्दुलिल्लाहि वला'.....फिर इस्तिंजा किया तो फ़रमाया, "ऐ अल्लाह मेरी शर्मगाह की रक्षा फ़रमा और मेरा काम आसान फ़रमा।" जब आपने कुल्ली की और नाक में पानी चढ़ाया तो फ़रमाया, "ऐ अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा और जन्नत की ख़ुश्बू से महरूम न रख।"

Www.IslamicBooks.Website

फिर जब आपने चेहरा धोया तो फ़रमाया, "मेरे चेहरे को रौशन फ़रमा जिस दिन चेहरे रौशन होंगे।" जब आपने दोनों बाज़ू धोए तो फ़रमाया, "ऐ अल्लाह मुझे मेरी किताब (कर्म पत्र) दाहिने हाथ में देना।" जब सर का मसह किया तो फ़रमाया, "ऐ अल्लाह! मुझे अपनी रहमत में ढांप लेना और अपने अज़ाब से बचाना।" फिर जब अपने दोनों पांव धोए तो फ़रमाया, "ऐ अल्लाह उस दिन जब क़दम डगमगाएंगे मेरे क़दम जमाए रखना।"

स्पष्टीकरण : यह हदीस मौज़ूअ है, बहवाला साबिक़ हदीस 33

١٠ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: دَعَانِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «يَا عَلِيُّ اغْسِلِ الْمَوْتَى، فَإِنَّهُ مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا غُفِرَ لَهُ سَبْعُوْنَ مَغْفِرَةً، لَوْ قُسِّمَتْ مَغْفِرَةٌ مِنْهَا عَلَى الْخَلَائِقِ لَوَسَعَتْهُمْ. قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا يَقُوْلُ مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا؟ قَالَ: يَقُوْلُ: غُفْرَانَكَ يَا رَحْمٰنُ، حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الْغُسْلِ».

हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने मुझे बुलाया और फ़रमाया, "ऐ अली! मुर्दों को ग़ुस्ल दिया करो क्योंकि जो मय्यित को ग़ुस्ल देगा अल्लाह उसे सत्तर बार माफ़ फ़रमाएगा अगर उसमें से एक मग़फ़िरत सारी दुनिया में बांट दी जाए तो सबके लिए काफ़ी हो जाए।" मैंने अर्ज़ किया, "या रसूलुल्लाह सल्ल०! जो व्यक्ति मय्यित को ग़ुस्ल दे वह क्या पढ़े?" आपने फ़रमाया "वह ग़ुस्ल से निमटने तक 'ग़ुफ़रा-न-क या रहमान' पढ़ता रहे।

स्पष्टीकरण : यह हदीस मौज़ूअ है, देखें "मौज़ूआत" इब्ने जोज़ी, दूसरा हिस्सा, किताबुत्तहारत हदीस फ़ी सवाब ग़ुस्ल मय्यित।

١١ مَسْحُ الرَّقَبَةِ أَمَانٌ مِنَ الْغُلِّ

गर्दन का मसह करना बेइमानी से बचाता है।

स्पष्टीकरण : यह हदीस मौज़ूअ है, देखें सिलसिला अहादीस अज़्ज़ईफ़ वल मौज़ूअ, हदीस 69

١٢ «مَنْ أَحْدَثَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ فَقَدْ جَفَانِي، وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُصَلِّ فَقَدْ جَفَانِي، وَمَنْ صَلَّى وَلَمْ يَدْعُ لِي فَقَدْ جَفَانِي، وَمَنْ دَعَانِي فَلَمْ أُجِبْهُ فَقَدْ جَفَيْتُهُ وَلَسْتُ بِرَبٍّ جَافٍ».

जिसका वुज़ू टूट जाए और वह वुज़ू न करे तो उसने मुझ पर ज़ुल्म

Www.IslamicBooks.Website

किया और जिसने वुज़ू किया और नमाज़ न पढ़ी उसने भी मुझ पर ज़ुल्म किया और जिसने नमाज़ पढ़ी और मेरे लिए दुआ न की उसने भी मुझ पर ज़ुल्म किया और जिसने मेरे लिए दुआ की और मैंने उसका जवाब न दिया तो मैंने उस पर ज़ुल्म किया क्योंकि मेरा रब ज़ुल्म करने वाला नहीं है।

स्पष्टीकरण : यह हदीस मौज़ूअ है, बहवाला साबिक़ हदीस 44

١٣ «إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَاشْرَبُوا أَعْيُنَكُمُ الْمَاءَ وَلَا تَنْفُضُوا أَيْدِيَكُمْ مِنَ الْمَاءِ فَإِنَّهَا مَرَاوِحُ الشَّيْطَانِ».

जब वुज़ू करो तो आंखें ख़ूब तर करो और अपने हाथों को पानी से न झाड़ो क्योंकि हाथ शैतान के पंखे हैं।

स्पष्टीकरण : यह हदीस मौज़ूअ है, देखें सिलसिला अहादीस अज़्ज़ईफ़ वल मौज़ूअ, हदीस 908

١٤ «اغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَوْ كَأْسًا بِدِينَارٍ».

जुमा के दिन ज़रूर ग़ुस्ल करो चाहे एक दीनार के बदले प्याला भर पानी लेकर करना पड़े।

स्पष्टीकरण : यह हदीस मौज़ूअ है, देखें सिलसिला अहादीस अज़्ज़ईफ़ वल मौज़ूअ, हदीस 158

١٥ «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ الْأُخْرَى»

सुन्नत यह है कि एक तयम्मुम से केवल एक ही नमाज़ अदा की जाए और दूसरी नमाज़ के लिए दोबारा तयम्मुम किया जाए।

स्पष्टीकरण : यह हदीस मौज़ूअ है, बहवाला साबिक़ हदीस 423

١٦ «مَنْ بَاتَ عَلَى طَهَارَةٍ ثُمَّ مَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ مَاتَ شَهِيدًا».

जो वुज़ू करके सोया फिर उस रात मर गया वह शहीद है।

स्पष्टीकरण : यह हदीस मौज़ूअ है, देखें सिलसिला अहादीस अज़्ज़ईफ़ वल मौज़ूअ हदीस 629

١٧ «مَنْ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عُنُقَهُ لَمْ يُغَلَّ بِالْأَغْلَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

Www.IslamicBooks.Website

जिसने वुज़ू में गर्दन का मसह किया उसे क़यामत के दिन ज़ंजीरों की सज़ा नहीं दी जाएगी।

स्पष्टीकरण : यह हदीस मौज़ूअ है, बहवाला साबिक़ हदीस 744

١٨ مَنْ أَسْبَغَ الْوُضُوءَ فِي الْبَرْدِ الشَّدِيدِ كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ كِفْلاَنِ وَمَنْ أَسْبَغَ الْوُضُوءَ فِي الْحَرِّ الشَّدِيدِ كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ كِفْلٌ».

जो सख़्त सर्दी में वुज़ू करे उसके लिए दोहरा अज्र है और जो सख़्त गर्मी में वुज़ू करे उसके लिए इकहरा अज्र है।

स्पष्टीकरण : यह हदीस मौज़ूअ है, बहवाला साबिक़ हदीस 840

١٩ «مَنْ قَرَأَ فِي أَثَرِ وُضُوءِهِ: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ مَرَّةً وَاحِدَةً كَانَ مِنَ الصِّدِّيقِينَ، وَمَنْ قَرَأَهَا مَرَّتَيْنِ كُتِبَ فِي دِيوَانِ الشُّهَدَاءِ، وَمَنْ قَرَأَهَا ثَلاَثًا حُشِرَ».

जिसने वुज़ू करने के बाद 'इन्ना अनज़लनाहु' एक बार पढ़ा वह सिद्दीक़ीन में से हो गया और जिसने दो बार पढ़ा उसका नाम शहीदों के दफ़्तर में लिखा गया और जिसने तीन बार पढ़ा उसका हश्र अंबिया के साथ होगा।

स्पष्टीकरण : यह हदीस मौज़ूअ है, बहवाला साबिक़ हदीस 1449

٢٠ «قَصُّوا أَظْفَارَكُمْ، وَادْفِنُوا قُلاَمَاتِكُمْ، وَنَقُّوا بَرَاجِمَكُمْ، وَنَظِّفُوا لِثَاتِكُمْ مِنَ الطَّعَامِ وَاسْتَاكُوا، وَلاَ تَدْخُلُوا عَلَيَّ قَحْرًا بَخْرًا».

अपने नाख़ुन काटो और कटे हुए नाख़ुन दफ़न करो और अपनी उंगलियों के जोड़ साफ़ करो और खाने से अपने मसूढ़ों को साफ़ करो और मिस्वाक करो।

स्पष्टीकरण : यह हदीस ज़ईफ़ है, देखें सिलसिला अहादीस अज़्ज़ईफ़ वल मौज़ूअ, हदीस 1472

Www.IslamicBooks.Website

Www.IslamicBooks.Website

TAHARAT KE MASAIL

Al-Kitab International
الکتاب انٹرنیشنل
Jamia Nagar, New Delhi-25
Ph.: 26986973 M. 9312508762